सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं0 267

घृणापूर्ण भाषण

मार्च 2017

डा0 न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान
पूर्व न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : 23736758, फैक्स : 23355741

सत्यमेव जयते

Dr. Justice B.S. Chauhan
Former Judge Supreme Court of India
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G.Marg New Delhi-110001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

23 मार्च, 2017

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

उच्चतम न्यायालय ने, प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 2014 एससी1591, में यह कहा था कि घृणापूर्ण भाषण के विवाद्य विषय पर भारत के विधि आयोग द्वारा गहराई से विचार किए जाने की आवश्यकता है । उसने यह भी कहा था कि ''.....हम विधि आयोग से उसमें उठाए गए विवाद्य विषयों की व्यापक रूप से परीक्षा करने का भी और यदि वह उचित समझे तो ''घृणापूर्ण भाषण'' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने और ''घृणापूर्ण भाषणों'' के खतरे को, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि उन्हें कब दिया गया है, नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु सिफारिशें करने का भी अनुरोध करते हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने लगातार दिए गए अपने उन स्पष्टीकरणों के प्रति भी निर्देश किया कि निदेश तभी जारी किए जाते हैं जब विधि में उस बारे में पूर्ण रिक्तता प्रतीत होती है अर्थात् ''आधारभूत मानव अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन का उपबंध करने के लए सक्रिय विधि की पूर्ण अनुपस्थिति''। यदि कार्यपालिका की ओर से किसी भी कारण से निष्क्रियता होती है तो न्यायालय विधि का प्रवर्तन करने की अपनी संवैधानिक बाध्यता का निर्वहन करने के लिए सदैव अग्रसर हुआ है । न्यायालय ने आगे कहा कि ''किसी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए विधिक व्यवस्था में रिक्तता होने की दशा में, न्यायालय उस समय तक के लिए किसी हल का उपबंध करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है जब तक कि विधान-मंडल उस क्षेत्र के लिए उचित विधान का अधिनियमन करके अपनी भूमिका का निष्पादन करे ।''

आयोग ने विभिन्न अधिकारिताओं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों में घृणापूर्ण भाषण से संबंधित विधियों पर विचार किया है और इस विषय-वस्तु से संबंधित विद्यमान उपबंधों का विश्लेषण किया है ।

परिणामस्वरूप यह आयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 153ख के पश्चात् ''घृणा के उद्दीपन का प्रतिषेध'' और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के पश्चात् ''कतिपय मामलों में भय, संत्रास कारित करना या हिंसा का प्रकोपन'' संबंधी नए उपबंधों को जोड़कर एवं तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची का संशोधन करके भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधनों का सुझाव देता है ।

यह आयोग सुश्री अनुमेहा मिश्रा, डा0 सौम्या सक्सेना और सुश्री शिखा धन्धारिया द्वारा, जिन्होंने इस परियोजना पर परामर्शियों के रूप में कार्य किया है, की गई प्रशंसनीय सहायता को अभिस्वीकार करता है ।

सादर,

भवदीय,

(डा0 न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान)

श्री रवि शंकर प्रसाद
माननीय विधि और न्याय मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली- 110115

रिपोर्ट सं0 267

घृणापूर्ण भाषण

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1	पृष्ठभूमि	1 - 4
2	भारत में घृणापूर्ण भाषण से संबंधित विधिक उपबंध	5 - 7
3	आयोग द्वारा विवाद्य विषय की परीक्षा	8 - 13
4	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर घृणापूर्ण भाषण का प्रभाव	14 - 30
5	घृणापूर्ण भाषण की कसौटी को पहचानना	31 - 35
6	दंड विधि का पुनरीक्षण	36 - 49
उपाबंध		
क	दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017	50 - 52

अध्याय - 1

पृष्ठभूमि

1.1 अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्ता का आधार स्तंभ है । ये राज्य की शक्ति पर परिसीमाओं के रूप में गारंटीकृत हैं ।[1] उन्हें लोकतांत्रिक समाजों में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से व्यक्ति का संरक्षण करने के लिए प्रदान किया गया है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव अधिकारों संबंधी सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में प्रतिष्ठापित है ।[2] यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक समझा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को स्वयं की पूर्णता प्राप्त करने और स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से उपभोग करने की अनुज्ञा देता है ।[3]

1.2 वैश्विक रूप से इतिहास अधिकारों के पूर्ण ध्वंश और स्वतंत्रताओं की हानि का, न केवल उपनिवेशिक शासन के अधीन किन्तु एडाल्फ हिटलर के पाश्विक शासन के अधीन भी, जिसने जर्मनी के सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन के सभी पहलुओं पर नाजी नियंत्रण को केंद्रीकृत करने के लिए एक मंत्रालय का सृजन किया था, साक्षी रहा है ।[4] पब्लिक एनलाइटिनमेंट एंड प्रोपेगण्डा (लोक जानकारी और प्रचार) के रीच मंत्रालय में, हिटलर ने जोसेफ गोइबेल्स को रीच के प्रचार मंत्री के रूप में नियुक्त किया था । इसका एक अकथित उद्देश्य अन्य राष्ट्रों में यह धारणा प्रस्तुत करना था कि नाजी पार्टी को सम्पूर्ण जनता का पूर्ण और उत्साहजनक समर्थन प्राप्त है ।[5] वह जर्मनी के समाचार मीडिया, साहित्य, दृश्यमान कलाओं, फिल्म निर्माण, थियेटर, संगीत और प्रसारण के लिए भी उत्तरदायी था । ऐसे मंत्रालय के, जिसका उद्देश्य नाजी विचारधारा[6] का प्रसारण था, परिणाम भलीभांति दस्तावेजों में लिपिबद्ध हैं ।

1.3 विधान सभा ने, जो इतिहास के उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक थी, एक लोकतंत्र द्वारा कठिनाई से अर्जित किए गए अधिकार के रूप में ''भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'' पर अत्यधिक जोर दिया । अत: इस स्वतंत्रता से संबंधित परिसीमाओं पर विचार-

---

[1] जे.एस.मिल, आन लिबर्टी एंड यूटिलिटेरियनिज्म 4 (बैंटम क्लासिक, न्यू यार्क, 2008) ।

[2] यू.एन.जी.ए. रेएस. 217ए (।।।), 1948 ।

[3] स्टिफेन शेमडिट एंड ।। मैक सी. शेले, बारबरा बाईस ईटी. एल., अमेरिकन गवर्न्मेंट एंड पोलिटिक्स टुडे (सेनगेज लर्निंग, यूएसए, 2014)।

[4] पीटर लांगरिच, गोइबेल्स : ए बायोग्राफी 212-231 (रैनडम हाउस, न्यू यार्क, 2015) ।

[5] रिचर्ड जे. इवान्स, दि थर्ड रीच इन पावर 121 (पेन्गुइन, न्यूयार्क, 2005) ।

[6] रोजर मैनवेल एंड हेनरिच फ्रैंकेल, डाक्टर गोइबेल्स : हिज लाइफ एंड डेथ 121 (स्काईहार्स, न्यूयार्क, 1960) ।

विमर्श इस बात पर केंद्रित रहा कि क्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के परंतुक के अंतर्गत ऐसा भाषण आना चाहिए 'जिससे वर्ग संबंधी घृणा में अभिवृद्धि होने की संभावना हो' ।[7] यह विचार-विमर्श बहुत अवसरों पर किया गया, जो केवल मूल अधिकारों पर वाद-विवाद तक ही सीमित नहीं रहा किन्तु ''लोक व्यवस्था'' या ''नैतिकता'' पर भी किया गया ।

1.4 प्रारंभ में यह सुझाव दिया गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित परंतुक होगा :

> (क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक नागरिक का अधिकार :
>
> विधि द्वारा यह परंतुक बनाया जा सकता है कि राजद्रोहात्मक, अश्लील, धर्म निन्दात्मक, अपमानलेखीय, कलंकित करने वाली या मानहानि कारक बात के प्रकाशन या उच्चारण को अनुयोज्य या दंडनीय बनाया जाए.....
>
> विधि द्वारा यह उपबंध किया जा सकता है कि ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किए जाएं, जो लोकहित में, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समूहों और जनजातियों का संरक्षण भी है, आवश्यक हों ।

इस उपबंध को विधान सभा में पर्याप्त विरोध का सामना करना पड़ा, जहां सदस्यों ने यह तर्क दिया कि यह अधिकारों को, जो मूलभूत हैं, 'आत्यंतिक' प्रकृति से वंचित करता है । गहरे विचार-विमर्श और अनेक पुनरीक्षणों के पश्चात् अम्बेडकर ने इंगित किया कि :

> यह कहना गलत है कि अमरीका में मूल अधिकार आत्यंतिक हैं । अमरीका के संविधान और इस प्रारूप संविधान के अधीन स्थिति के बीच अंतर केवल स्वरूप का है, न कि सार का । अमरीका में मूल अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं हैं, यह विवाद से परे है । प्रारूप संविधान में उपवर्णित मूल अधिकारों के प्रत्येक अपवाद के समर्थन में कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय (यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट) के कम से कम एक निर्णय के प्रति निर्देश कर सकता है । यह पर्याप्त होगा कि प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट स्वतंत्र भाषण के अधिकार पर परिसीमा को न्यायोचित ठहराने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक ऐसे

[7] वे व्यक्ति, जो घृणापूर्ण भाषण पर समिति में विचार-विमर्श के दौरान बोले, के.एम. पनिक्कर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.एम. मुंशी, अध्यक्ष जे.बी.कृपलानी, सी. राजगोपालाचारी और एच.सी. मुखर्जी और ठाकुर दास भार्गव थे ।

निर्णय को उद्धृत किया जाए । गिटलो बनाम न्यूयार्क में, जिसमें विवाद्यक न्यूयार्क की "आपराधिक अराजकता" संबंधी विधि की संवैधानिकता का था, जो हिंसात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रकल्पित उच्चारणों को दंडित करने के लिए तात्पर्यित थी, उच्चतम न्यायालय ने कहा :

> "यह दीर्घकाल से स्थापित मूल सिद्धांत है कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, जो संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है, बिना किसी उत्तरदायित्व के, जिसका भी कोई चयन करे, बोलने या प्रकाशित करने का आत्यंतिक अधिकार, या ऐसी कोई अनिर्बंधित और अनियंत्रित अनुज्ञप्ति, जो भाषा के प्रत्येक संभव प्रयोग के लिए उन्मुक्तता देती हो, प्रदान नहीं करती है और उनके लिए दंड का निवारण नहीं करती है, जो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं ।"

अत: यह कहना गलत है कि अमरीका में मूल अधिकार आत्यंतिक है, जब कि वे प्रारूप संविधान में नहीं है ।[8]

1.5 यह उपधारणा कि राज्य को किसी भाषण को उसकी अंतर्वस्तु के आधार पर निर्बंधित करने की शक्ति से वंचित करने वाला कोई नियम विस्तृत संभव विचार-विमर्श को जन्म देगा, समस्यामूलक है क्योंकि इससे ऐसा विचार-विमर्श अवश्य उत्पन्न हो सकता है, जो जनता के पूर्वाग्रहों का सूचक हो ।[9] ऐसा विशेष रूप से किसी ऐसे भाषण के संबंध में सच हो सकता है, जो संवेदनशील समूहों को, समाज में समान स्थान देने से वंचित करके उन्हें सीमांत पर लाने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करता हो ।

1.6 किसी बहुल लोकतंत्र में, सदैव विभिन्न वृत्तांतों और उस निर्वचन के बीच, जो लोकहित का गठन करता है, विरोध होता है । लोकतंत्र असहमतियों पर ही प्रगति करता है, परंतु यह तब जब कि वे सिविल व्याख्यान की सीमाओं को नहीं लांघती हैं । आलोचनात्मक और असहमति प्रकट करने वाली आवाजें किसी जागरूक समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं । तथापि, लोक व्याख्यान को लोक व्यवस्था के प्रतिकूल भाषण को संप्रवर्तित करने का उपकरण बनने से रोकने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए । स्वतंत्रता के प्रयोग का ढंग, उसका संदर्भ और उसके दुरुपयोग की सीमा अनुज्ञेय निर्बंधनों की रूपरेखा का अवधारण करने

---

[8] संविधान सभा विचार-विमर्श (नवंम्बर, 4, 1948) 1459 ।

[9] ओवेन एम.फिस, "व्हाइ दि स्टेट ?" 100 हार्व.एल. रेव. 785 (1986-1987) ।

में महत्वपूर्ण हैं ।[10] अत: राज्य यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर लेता है कि स्वतंत्रताओं का प्रयोग किसी असंवैधानिक रीति से न किया जाए ।

1.7 संविधान यह अभिस्वीकार करता है कि स्वतंत्रता आत्यंतिक या अनियंत्रित नहीं हो सकती और अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) तक में ऐसे उपबंध करता है, जो राज्य को उस अनुच्छेद के अधीन गारंटीकृत स्वतंत्रता के प्रयोग को, उन खंडों में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के भीतर, निर्बंधित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । इस प्रकार अनुच्छेद 19 का खंड (2), जैसा उसे पश्चातवर्ती संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 और संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा संशोधित किया गया है, विधान-मंडल को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर (i) राज्य की सुरक्षा और भारत की प्रभुता और अखंडता, (ii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, (iii) लोक-व्यवस्था, (iv) शिष्टाचार या सदाचार के हितों में या न्यायालय- अवमान, मानहानि या किसी अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए समर्थ बनाता है ।

1.8 इस प्रकार यह इस पृष्ठभूमि में था कि अनुच्छेद 19 के संबंध में 'परिसीमाएं', अनुच्छेद 19(2) में अंतर्विष्ट की गई थीं, बजाए इसके कि घृणापूर्ण भाषण को ही परिभाषित किया जाता ।

[10] एस. सिवकुमार, प्रेस ला एंड जर्नलिस्ट 11 (यूनिवर्सल ला पब्लिसिंग कंपनी, गुड़गांव, 2015) ।

अध्याय 2

भारत में घृणापूर्ण भाषण से संबंधित विधिक उपबंध

2.1 संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रता का मर्म उत्तरदायित्व पूर्ण भाषण है । स्वायत्तता के सिद्धांत और स्वतंत्र भाषण के सिद्धांत के समक्ष महानतम चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्रता का प्रयोग किसी व्यक्ति या समाज के किसी असुविधाग्रस्त वर्ग के लिए अहितकर रूप में नहीं किया जाता है । भारत के समान देश में, जहां विभिन्न जातियां, पंथ, धर्म और भाषाएं हैं, यह विषय एक विशाल चुनौती प्रस्तुत करता है ।

2.2 संविधान का अनुच्छेद 19(2) भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है । यह अनुच्छेद भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार अथवा न्यायालय के अवमान, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन से संबंधित कतिपय निर्बंधनों के अधीन रहते हुए है ।

2.3 घृणापूर्ण भाषण भारत में किसी विधि में परिभाषित नहीं किया गया है । तथापि, कतिपय विधानों में विधिक उपबंध भाषण की स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में भाषण के चयन किए गए रूपों का प्रतिषेध करते हैं ।

घृणापूर्ण भाषण से संबंधित विधान :

2.4 वर्तमान में हमारे देश में निम्नलिखित विधान घृणापूर्ण भाषण पर प्रभाव रखते हैं, अर्थात् :--

(i) भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसके पश्चात् भारतीय दंड संहिता कहा गया है)

- भारतीय दंड संहिता की धारा 124क राजद्रोह को दंडित करती है ।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 153क 'धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करने वाला और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करने' को दंडित करती है ।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 153ख 'राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान' को दंडित करती है ।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 295क 'विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य, जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों' को दंडित करती है ।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 298 'किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचान के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, आदि' को दंडित करती है ।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 505(1) और (2) 'विभिन्न वर्गों में लोक रिष्टि और शत्रुता, घृणा या वैमनस्य कारित करने वाले किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को प्रकाशित या परिचालित करने' को दंडित करती हैं ।

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

- धारा 8 किसी व्यक्ति को निर्वाचन लड़ने से निरर्हित बनाती है यदि वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधर्मज प्रयोग के बराबर कार्यों में लगे होने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ।
- धारा 123(3क) और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर शत्रुता की भावनाओं का संप्रवर्तन करने का भ्रष्ट निर्वाचन आचरण के रूप में प्रतिषेध करती हैं ।

(iii) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- धारा 7 बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उद्दीप्त और प्रोत्साहित करने के लिए दंडित करती है ।

(iv) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988

- धारा 3(छ) किसी भी धार्मिक संस्था या उसके प्रबंधक को, संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेषिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असामंजस्य या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना की अभिवृद्धि करने या अभिवृद्धि

करने का प्रयास करने के लिए, उपयोग करने की अनुज्ञा देने से प्रतिषिद्ध करती है।

(v) केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995

- धारा 5 और 6, विहित कार्यक्रम कोड या विज्ञापन कोड के उल्लंघन में किसी केबल सेवा के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम के पारेषण या पुन:पारेषण का प्रतिषेध करती हैं ।

(vi) चलचित्र अधिनियम, 1952

- धारा 4, धारा 5ख और धारा 7 फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को किसी फिल्म के छांटने का प्रतिषेध करने और उसे विनियमित करने के लिए सशक्त करता है ।

(vii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

- धारा 95, राज्य सरकार को ऐसे प्रकाशनों का, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124क, 153क, 153ख, 292, 293 या 295क के अधीन दंडनीय हैं, समपहरण करने के लिए सशक्त करती है ।
- धारा 107 किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, किसी व्यक्ति को परिशांति भंग करने या लोक प्रशांति विछुब्ध करने या ऐसा कोई सदोष कार्य करने से, जिससे परिशांति भंग होने या लोक प्रशांति विछुब्ध होने की संभावना है, रोकने के लिए सशक्त करती है ।
- धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, किसी उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है । उपर्युक्त अपराध संज्ञेय हैं । अत: इनका नागरिकों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और ये किसी पुलिस अधिकारी को, किसी मजिस्ट्रेट से आदेशों के बिना और किसी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए सशक्त करते हैं, जैसा कि दंड प्रकिया संहिता की धारा 155 में है ।

अध्याय 3

आयोग द्वारा विवाद्य विषय की परीक्षा

3.1 घृणापूर्ण भाषण भारत में सदा ही जागरूक चर्चा का विषय रहा है । यह विवाद्य विषय बार-बार विधान मंडल, न्यायालय और साथ ही जनता के समक्ष उठाया जाता रहा है । प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ[11] में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे मामले के संबंध में सुनवाई की, जहां याचिकाकर्ताओं ने यह प्रार्थना की थी कि राज्य को घृणापूर्ण भाषण करने वालों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्य करना चाहिए । किन्तु न्यायालय घृणापूर्ण भाषण को दंडित करने की विद्यमान विधियों के क्षेत्र से आगे नहीं गया क्योंकि वह 'न्यायिक पहुंच से अधिक' के बराबर होता । न्यायालय ने यह कहा कि विद्यमान विधियों का कार्यान्वयन घृणापूर्ण भाषण की समस्या को बड़ी सीमा तक सुलझा लेगा । यह मामला विधि आयोग को यह परीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट किया गया कि यदि वह 'उचित समझे तो घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करे और इस बात का ध्यान रखे बिना कि वह कब किया गया है 'घृणापूर्ण भाषणों' की विभीषिका पर नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु संसद् को सिफारिशें करे ।'

3.2 व्यक्तियों पर घृणापूर्ण भाषण के विरोधी और विभेदकारी प्रभाव को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने प्रवासी भलाई संगठन[12] में 'प्रतिषेध को एक प्रबंधनीय मानक तक सीमित करने की कठिनाई को भी अभिव्यक्त किया' । इस आशंका ने कि किसी निश्चित मानक को अधिकथित करने से भाषण की स्वतंत्रता में कमी आ सकती है, न्यायपालिका को भारत में और अन्यत्र घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करने से रोका है ।

3.3 न्यायालय ने पुन: जफर इमाम नकवी बनाम भारत का निर्वाचन आयोग[13] में घृणापूर्ण भाषण के प्रश्न पर विचार किया । याचिकाकर्ताओं ने अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में दिए गए अत्यन्त कटु भाषणों को चुनौती देने वाली रिट याचिका फाइल की और निर्वाचन आयोग से ऐसे भाषणों के विरुद्ध समुचित उपाय करने के लिए परमादेश की रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की । तथापि न्यायालय ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि निर्वाचन प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका

[11] एआईआर 2014 एससी 1591 ।

[12] पूर्वोक्त ।

[13] एआईआर 2014 एससी 2537 ।

जनहित विवाद के रूप में अर्हित नहीं होती है और यह कि न्यायालय उन मामलों पर विधान नहीं बना सकता है जहां विधान मंडल का आशय स्पष्ट है ।

भारत में घृणापूर्ण भाषण संबंधी विधिशास्त्र का विश्लेषण

3.4 घृणापूर्ण भाषण में अनुच्छेद 19(2) के अधीन लोक व्यवस्था, अपराध के उद्दीपन और राज्य की सुरक्षा के आधारों पर कमी की जा सकती है । उच्चतम न्यायालय ने बृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य[14] में यह मत व्यक्त किया कि लोक व्यवस्था, लोक सुरक्षा से सहबद्ध है और उसे न्यायालय ने राज्य की सुरक्षा के समतुल्य समझा । इस निर्वचन को संविधान के पहले संशोधन द्वारा, जब लोक व्यवस्था को 19(2) के अधीन निर्बंधन के आधार पर अंत:स्थापित किया गया था, विधिमान्य बनाया गया ।[15]

3.5 तथापि, राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य[16] में उच्चतम न्यायालय ने विधि और व्यवस्था, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा में एक दूसरे से भेद किया और यह कहा कि :

> तीन संकेंद्रित चक्रों की कल्पना करनी होगी । विधि और व्यवस्था सबसे बड़े चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके भीतर दूसरा चक्र है जो लोक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा चक्र राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है । इस प्रकार यह देखना आसान है कि किसी कार्य से विधि और व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है किन्तु लोक व्यवस्था पर नहीं । ठीक वैसे ही जैसे कोई कार्य लोक व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है किन्तु राज्य की सुरक्षा पर नहीं ।

3.6 अनुच्छेद (1) (क) को निर्बंधित करने के लिए लागू किया गया मानक सर्वोच्च है, जब उसे राज्य की सुरक्षा के हित में अधिरोपित किया गया हो । यह भी कि अनुच्छेद 19(2) के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधन से यह इंगित होता है कि निर्बंधन और लोक व्यवस्था के बीच संबंध, किसी दूरस्थ या काल्पनिक संबंध के विरुद्ध, निकटवर्ती और सीधा होना है ।[17]

---

[14] एआईआर 1950 एससी 129 ।

[15] संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 ।

[16] एआईआर 1966 एससी 740 ।

[17] ओ.के. घोष बनाम ई.एक्स. जोसेफ, एआईआर 1963 एससी 812 ; और अधीक्षक केंद्रीय कारागार बनाम डा0 राम मनोहर लोहिया, एआईआर 1960 एससी 633 ।

3.7 रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[18] में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295क[19] की संवैधानिक विधिमान्यता की मर्यादा को बनाए रखा और निर्णय दिया कि यह धारा किसी वर्ग के नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने या अपमान करने का प्रयास करने के प्रत्येक कार्य को दंडित नहीं करती है किन्तु यह किसी वर्ग के नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के केवल उन कार्यों या अपमान करने के उन विभिन्न प्रकार के प्रयासों को, जो उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और विद्वेषपूर्ण आशय से आहत करने के लिए किए गए हैं, दंडित करती है ।[20] न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 19(2) में वर्णित 'लोक व्यवस्था के हित में' अभिव्यक्ति 'लोक व्यवस्था का बनाए रखना' से अधिक व्यापक है । अत: यदि कोई कार्य वास्तव में लोक व्यवस्था का भंग कारित नहीं करता है तो भी 'लोक व्यवस्था के हित में, उसका निर्बंधन युक्तियुक्त समझा जाएगा ।

3.8 रमेश बनाम भारत संघ[21] में, उच्चतम न्यायालय ने भाषण पर पृथक् रूप से अधिनिर्णय करने से इंकार कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि किसी चलचित्र को, जो शांति का संदेश देने का आशय रखता है, अनुच्छेद 10(1)(क) का अतिक्रमण करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जा सकता कि वह कट्टरपन और ऐसे कार्यों की निरर्थकता प्रकट करने के क्रम में हिंसा को दर्शित करता है । इस प्रकार वह कार्य स्वयं ही नहीं है किन्तु उस कार्य की प्रभावकारिता और उसका लोक शांति पर प्रभाव है, जो अनुच्छेद 19(2) के अधीन निर्बंधन को न्यायोचित ठहराता है ।[22] इस मामले में, न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 10(2) में प्रगणित समाज संबंधी हितों के समकक्ष मानने से इनकार कर दिया । यह कहा गया कि किसी भाषण पर निर्बंधन केवल तब न्यायोचित है यदि वह समुदाय के लिए आसन्न रूप से खतरनाक है, जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया था कि :

---

[18] एआईआर 1957 एससी 620 ।

[19] यह इस प्रकार है : "जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

[20] उपर्युक्त टिप्पण 18 ।

[21] एआईआर 1988 एससी 775 ।

[22] देखिए राम मनोहर लोहिया उपर्युक्त टिप्पण 17 ; और अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 1970 एससी 1228 ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जब वह अनुच्छेद 19(2) के अधीन परिगणित विभिन्न सामाजिक हितों के विरोध में प्रतीत होती है, क्षेत्र परिभाषित करने की समस्या पर यहां संक्षेप में चर्चा की जा सकती है । वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हित और सामाजिक हितों के बीच एक समझौता करना होगा । किन्तु हम दोनों हितों को सादे रूप से इस प्रकार बराबर नहीं कर सकते हैं कि मानो वे समान वजन के हैं । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मांग करती है कि उसे तब तक नहीं दबाया जा सकता जब तक कि स्वतंत्रता की अनुज्ञा देने से सृजित स्थितियां दबाव डालने वाली न हों और समुदाय के हित संकटापन्न न होते हों । प्रत्याशित खतरा दूरस्थ, आनुमानित या अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए । उसका अभिव्यक्ति से निकटस्थ और सीधा संबंध होना चाहिए । विचार की अभिव्यक्ति स्वभावत: जनता के हित के लिए खतरनाक होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में यह अभिव्यक्ति अनुध्यात कार्यवाही से 'पाउडर के पीपे में चिनगारी' के समतुल्य अपृथक् रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए ।[23]

3.9 श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ[24] में, न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क को अविधिमान्य घोषित किया, क्योंकि वह निर्बंधन और कार्य के बीच कोई निकटतम संबंध स्थापित नहीं करती थी । यह मत व्यक्त किया गया कि :

.....संदेश और कार्रवाई के, जो संदेश पर आधारित करके की जाए, बीच संबंध सहजदृश्य रूप से अनुपस्थित है- इस अपराध में किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जिसके बारे में कि कोई युक्तियुक्त व्यक्ति उस समय कहेगा कि वह लोक सुरक्षा या शांति के लिए आसन्न खतरा होने की प्रवृत्ति रखता है, उद्दीप्त करने का कोई घटक नहीं है ।

3.10 इस मामले में न्यायालय ने उद्दीपन के बारे में विचार-विमर्श और उसकी वकालत के बीच अंतर किया और अभिनिर्धारित किया कि पहले दो अनुच्छेद 19(1) का मर्म थे । अभिव्यक्ति को केवल तभी निर्बंधित किया जा सकता है जब विचार-विमर्श और उसकी वकालत उद्दीपन के बरारबर हो । उद्दीपन को अरूप भुइयन बनाम असम राज्य[25] में आसन्न हिंसा के लिए उद्दीपन के रूप में पढ़ा गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति

[23] राम मनोहर लोहिया उपर्युक्त टिप्पण 17 ।

[24] एआईआर 2015 एससी 1523 ।

[25] (2011) 3 एससीसी 377 ।

पर किसी वर्जित संगठन का सदस्य होने के लिए आपराधिकता अभ्यारोपित करने से तब तक इनकार कर दिया, जब तक कि उस व्यक्ति ने हिंसा का आश्रय नहीं लिया या हिंसा करने के लिए जनता को उद्दीप्त नहीं किया या हिंसा और हिंसा के लिए उद्दीपन द्वारा लोक अव्यवस्था सृजित नहीं की ।

3.11 भाषण का संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 10(1)(क) के अधीन उसकी वैधता का अवधारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । महाराष्ट्र राज्य बनाम संघराज दामोदर रूपावते[26] में न्यायालय ने यह कहा कि आघात पहुंचाने वाले मामले में प्रयुक्त शब्दों के प्रभाव का निर्णय, युक्तियुक्त कठोर मस्तिष्क वाले, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के और न कि उनके जो कमजोर और ढुलमुल मस्तिष्क के हैं, न उनके जो प्रत्येक विरोधी दृष्टिकोण में खतरा सूंघते हैं, मानकों से किया जाना चाहिए । अरुमुगम सीरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य[27] में, उच्चतम न्यायालय ने, अपमान करने के आशय से 'पल्लान', 'पल्लापायल', 'पारायन' या 'पारापारायन' शब्दों का प्रयोग करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अभियोजन को बनाए रखा । इस मामले में आक्षेपित शब्दों के ऐतिहासिक संदर्भ की परीक्षा की गई थी ।

3.12 बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[28] में भारतीय दंड संहिता की धारा 153क और 505(2) का निर्वचन करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों धाराओं में सामान्य बात यह है कि वे विभिन्न धार्मिक या मूलवंशीय या भाषा संबंधी या प्रादेशिक समूहों या जातियों और समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना का संप्रवर्तन करने को और सौहार्द् बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों को करने को अपराध बनाती है । यह आवश्यक है कि दो ऐसे समूह या समुदाय इस उपबंध को आकर्षित करने के लिए अंतर्वलित होने चाहिए । किसी दूसरे समुदाय या समूह के प्रति कोई निर्देश किए बिना एक समुदाय या समूह की भावनाओं को केवल मात्र चोट पहुंचाना दोनों धाराओं में से किसी को आकर्षित नहीं कर सकता ।

3.13 बाबू राव पटेल बनाम दिल्ली राज्य[29] में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153(1) केवल धर्म के आधार पर शत्रुता आदि की भावनाओं के

[26] (2010) 7 एससीसी 398 ।

[27] (2011) 6 एससीसी 405 ।

[28] एआईआर 1997 एससी 3483 ।

[29] एआईआर 1980 एससी 763 ।

संप्रवर्तन तक परिसीमित नहीं हैं किन्तु मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय जैसे अन्य आधारों पर भी ऐसी भावनाओं के संप्रवर्तन को ध्यान में रखती है ।

3.14 हाल के विनिश्चय दर्शित करते हैं कि भारत भाषण का संरक्षण करने की शासन प्रणाली का अनुसरण करता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका में व्यवहार में है और न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 19 को निर्बंधित करने में अत्यधिक सावधान है । ऐसी स्थिति के पीछे कारण राज्य द्वारा निर्बंधनात्मक कानूनों के दुरुपयोग की आशंका और भय है ।

अध्याय 4

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर घृणापूर्ण भाषण का प्रभाव

4.1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतांत्रिक राज्यों द्वारा मान्यताप्राप्त अत्यधिक आवश्यक स्वतंत्रताओं में से एक है ।[30] स्वतंत्रता की संकल्पना व्यक्तिगत स्वायत्तता के सिद्धांत द्वारा प्राथमिक रूप से प्रभावित हुई है । स्वतंत्र भाषण का उदार सिद्धांत भाषण को स्वायत्त व्यक्ति के गहन पहलू के रूप में देखता है, अत: इस स्वतंत्रता के प्रयोग पर कोई निर्बंधन सदैव न्यायिक संवीक्षा के अधीन होता है । किसी लोकतंत्र में स्वतंत्र भाषण का उद्देश्य मतों की बहुलता का संप्रवर्तन करना होता है । तथापि अभिव्यक्ति को, चाहे वह कितनी ही अलोकप्रिय हो, अनुज्ञा देने के महत्व पर जेएस मिल द्वारा अपने कार्य 'आन लिबर्टी (स्वतंत्रता पर)' में निम्नलिखित शब्दों में जोर दिया गया है :

> यदि संपूर्ण मनुष्य जाति की, एक को छोड़कर, एक राय हो और केवल एक व्यक्ति की विरोधी राय हो, तो मनुष्य जाति उस एक व्यक्ति को शांत करने में न्यायोचित नहीं होगी, उसकी तुलना में वह व्यक्ति, यदि उसके पास शक्ति हो तो, मानवता को शांत करने में न्यायोचित होगा ।[31]

4.2 मतो की विभिन्नता को अनुज्ञा देने के महत्व ने स्वतंत्र भाषण के सिद्धातों को मार्गनिर्देशित किया है । इस प्रकार एक भाषण को भी, जो 'प्रचंड, कठोर और कभी-कभी अप्रिय रूप से तीखा'[32] है, राज्य के हस्तक्षेप से संरक्षित किया गया है ।

4.3 घृणापूर्ण भाषण एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे कष्ट कारित करने या अन्य व्यक्तियों को उनके किसी विशेष समूह के साथ सहयोजन के आधार पर आधात पहुंचाने या उनके प्रति विद्वेष का उद्दीपन करने की संभावना है । घृणापूर्ण भाषण की कोई सामान्य विधिक परिभाषा नहीं है, शायद इस आशंका से कि आधारहीन भाषण का अवधारण करने के लिए कोई मानक स्थापित करने से इस स्वतंत्रता को दबाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है ।

4.4 दार्शनिक जेरेमी वाल्र्डन तर्क देते हैं कि जब कि शुद्ध रूप से घृणोत्पादक भाषण निर्बंधनों को न्यायोचित नहीं भी ठहरा सकता है, तो भी क्षति का एक ऐसा वर्ग है जो, उपहति भावनाओं से अधिक के बराबर किन्तु शारीरिक क्षति के अर्थ में, हानि से कम होता

---

[30] देखिए हैंडीसाइड बनाम यूनाइटेड किंगडम, आवेदन सं0 5493/72(1976) ।

[31] जे.एस. मिल, उपर्युक्त टिप्पण 1।

[32] न्यूयार्क टाइम्स बनाम सुलिवन, 376 यूएस 254(1964) ।

है, जो लोकतांत्रिक ढांचे में निर्बंधन की मांग करता है । जहां भाषण गरिमा को चोट पहुंचाता है, वहां वह अपने लक्ष्य को केवल मात्र चोट पहुंचाने से अधिक हानि करेगा । वह इस 'अंतर्निहित आश्वासन' को कम करेगा कि किसी लोकतंत्र के नागरिकों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों या संवेदनशील समूहों को उसी स्तर पर रखा गया है, जिस पर बहुसंख्यक को ।[33] जबकि किसी समूह की आलोचना करने का अधिकार बना रहना चाहिए, वहीं ऐसे भाषण को, जो किसी अतिसंवेदनशील समूह के अधिकार को नकारता है, विनियमित किया जाना चाहिए ।

4.5 स्वतंत्र भाषण सदैव प्रत्येक लोकतंत्र का मर्म समझा गया है । स्वतंत्र भाषण का सिद्धांत राज्य की भाषण को विनियमित करने की शक्ति के विरुद्ध बचाव के रूप में विकसित हुआ है । उदारता का सिद्धांत राज्य की अलोकतांत्रिक शक्ति के विरुद्ध अध्युपाय है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल स्वतंत्रताओं में से एक है, जो मानव अधिकार विधेयक में निगमित की गई है ।[34] इस अभिव्यक्ति को दिया गया बड़ा मूल्य, अधिकारों की स्कीम में, ऐसे अपवादों का सृजन करने में, जो इस स्वतंत्रता की आत्मा को कम कर सकते हैं, विधि बनाने वालों और न्यायपालिका की अनिच्छा को स्पष्ट करता है । शायद घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करने में अनिच्छा के पीछे यही कारण हैं ।

घृणापूर्ण भाषण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विधिक शासन का एक संक्षिप्त विवरण

4.6 स्वतंत्र भाषण के सिद्धांत के कार्यकरण ने कुछ व्यक्तियों और समाज के कुछ छोटे वर्ग के विभेदकारी, विरोधी और चोट पहुंचाने वाली प्रवृत्ति को संबोधित करने में इस स्वतंत्रता की असफलता के प्रति बहुधा संकेत किया है । यह वही दृष्टिकोण था जिसने राष्ट्रीय, मूलवंशीय या धार्मिक घृणा की वकालत[35] के, जो अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार संबंधी प्रसंविदा, 1966[36] के अनुच्छेद 20(2) के अधीन विभेद, विरोध या हिंसा के उद्दीपन का गठन करती है, प्रतिषेध का मार्गदर्शन किया था । समान रूप से अंतरराष्ट्रीय

[33] जेरेमी वाड्रन, दि हार्म इन हेट स्पीच 87-88 (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2012) ।

[34] विलियम ए.चेबेस, दि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स : दि ट्रवाक्स प्रिपेरेटायर्स (वोल्यूम ।) lxxiii (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 2013) ।

[35] रोजर किस्का, ''घृणापूर्ण भाषण : यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय और संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायशास्त्र के बीच तुलना'' 25 रीजेंट यूनिवर्सिटी ला रिव्यू 119(2012) ।

[36] 99 यू.एन.टी.एस. 171 (1966) ।

मूलवंशीय विभेद के सभी रूपों का उन्मूलन संबंधी प्रसंविदा, 1966[37] के अनुच्छेद 4 और 6 मूलवंशीय श्रेष्ठता या घृणा पर आधारित विचारों के प्रसारण, मूलवंशीय विभेद के उद्दीपन और साथ ही दूसरे रंग या प्रजातीय मूल की किसी जाति या समूह के व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा के सभी कार्यों या ऐसे कार्यों के उद्दीपन का प्रतिषेध करते हैं और हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को ऐसे कार्यों के विरुद्ध प्रभावी उपचारों और संरक्षण का उपबंध करने के लिए परमादेश देते हैं ।

4.7 घृणापूर्ण भाषण के विवाद्य विषय ने इंटरनेट के युग में बड़ा महत्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि इंटरनेट की पहुंच थोड़े समय में बहुत से श्रोताओं को आहत करने वाले भाषणों से प्रभावित कर सकती है । इस विवाद्य विषय को मान्यता देते हुए मानव अधिकार परिषद् की इंटरनेट पर अंतर्वस्तु का विनियमन करने संबंधी 'मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का संप्रवर्तन और संरक्षण[38] पर विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट ने अभिव्यक्त किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित आधारों[39] पर निर्बंधित किया जा सकता है, अर्थात् :--

- बालक संबंधी अश्लील साहित्य (पोर्नोग्राफी) (बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए)
- घृणापूर्ण भाषण (प्रभावी समुदायों का संरक्षण करने के लिए)
- मानहानि (अवांछित आक्रमणों के विरुद्ध दूसरों के अधिकारों और प्रसिद्धि का संरक्षण करने के लिए)
- जातिसंहार करने के लिए सीधे और जनता का उद्दीपन (दूसरों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए)
- राष्ट्रीय, मूलवंशीय या धार्मिक घृणा की वकालत, जो विभेद, विरोध या हिंसा के लिए उद्दीपन का गठन करती है (दूसरों के अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, का संरक्षण करने के लिए)

---

[37] 660 यू.एन.टी.एस. 195 (1966) ।

[38] मानव अधिकार परिषद्, मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संप्रवर्तन और संरक्षण पर विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट, 17वां सत्र, ए/एचआरसी/17/27 (मई 16, 2011), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf पर उपलब्ध है (जनवरी, 23, 2017 को अंतिम बार देखा गया) ।

[39] पैरा 25 पर ।

4.8 विभिन्न देशों में घृणापूर्ण भाषण का विश्लेषण यह सुझाव देता है कि एक सामान्य परिभाषा न होने के बावजूद, इसे अंतराष्ट्रीय संस्थाओं और नगर निगम न्यायालयों द्वारा स्वतंत्र भाषण के अपवाद के रूप में मान्यता दी गई है ।

यूरोपीय संघ और ब्रिटेन

4.9 यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय कहा गया है) ने घृणापूर्ण भाषण से संबंधित न्यायशास्त्र का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है । यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन[40] (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन कहा गया है) का अनुच्छेद 10[41], इस अनुच्छेद के खंड (2) में अनुबद्ध कतिपय 'औपचारिकताओं, शर्तों, निर्बंधनों या शास्तियों के अधीन रहते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है ।[42] कन्वेंशन का अनुच्छेद 17 'किसी राज्य, समूह या व्यक्ति' द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग का प्रतिषेध करता है ।[43]

4.10 यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने, घृणापूर्ण भाषण से संबंधित मामलों का अवधारण करते हुए इसकी कन्वेंशन के मूल्यों की कसौटी पर परीक्षा की है । यदि प्रश्नगत कार्य संविधान के अधीन गारंटी दिए गए अधिकारों को नकारता है, तो उसे कन्वेंशन के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में अननुज्ञेय घोषित कर दिया जाता है ।[44] घृणापूर्ण भाषण से

---

[40] अनुच्छेद 10(1) इस प्रकार है : "प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है । इस अधिकार के अंतर्गत राय रखने और लोक प्राधिकारी के हस्तक्षेप के बिना सूचना और विचार प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता है और ऐसा सीमाओं के बिना है । यह अनुच्छेद राज्यों को प्रसारण, टेलीविजन या सिनेमा उद्यमों से अनुज्ञापन की अपेक्षा करने से निवारित नहीं करेगा ।"

[41] यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन, 213 यूएनटीएस 221(1950) ।

[42] अनुच्छेद 10(2) इस प्रकार है : "इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग, चूंकि इनके साथ कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं, ऐसी औपचारिकताओं, शर्तों, निबंधनों या शास्तियों के अधीन रहते हुए, हो सकता है, जो विधि द्वारा विहित की गई हों और जो किसी लोकतंत्र समाज में, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता या लोक सुरक्षा के हित में, अव्यवस्था या अपराध के निवारण के लिए, स्वास्थ्य या नैतिकताओं के संरक्षण के लिए, दूसरों की प्रसिद्धि या अधिकारों के संरक्षण के लिए, विश्वास में प्राप्त की गई सूचना के प्रकटन से निवारण करने के लिए या न्यायपालिका के प्राधिकार या निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों ।"

[43] अनुच्छेद 17 इस प्रकार है : "इस कन्वेंशन की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए किसी ऐसे क्रियाकलाप में संलिप्त होने या कोई ऐसे कार्य को करने का अधिकार अंतर्निहित है, जिसका उद्देश्य यहां उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी को या उनकी परिसीमाओं को उससे अधिक सीमा तक, जो कन्वेंशन में उपबंधित हैं, नष्ट करना है ।"

[44] पूर्वोक्त ।

संबंधित सदस्य राज्यों के मंत्रियों की यूरोपीय समिति की परिषद् ने 'घृणापूर्ण भाषण' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है :

> ..... 'घृणापूर्ण भाषण' शब्द से यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति के वे सभी रूप आते हैं, जो मूलवंश संबंधी घृणा, विदेशी-द्वेष, सामी विरोधी या असहिष्णुता पर, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों, आप्रवासियों और आप्रवास मूल के व्यक्तियों के विरुद्ध आक्रामक राष्ट्रवाद और जाति संबंधी केंद्रवाद, विभेद और विरोध द्वारा प्रकट की गई असहिष्णुता भी है, आधारित घृणा के अन्य रूपों को फैलाते हैं, उद्दीप्त करते हैं, संप्रवर्तित करते हैं या उसे न्यायोचित ठहराते हैं ।[45]

4.11 यूरोपीय परिषद् की घृणापूर्ण भाषण संबंधी मैनुअल के अनुसार, घृणापूर्ण भाषण में परिस्थितियों की बहुलता अंतर्वलित है :

> पहली मूल वंशीय घृणा का उद्दीपन या दूसरे शब्दों में किसी मूलवंश के आधार पर व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के विरुद्ध निदेशित घृणा ; दूसरी धार्मिक आधार पर घृणा का उद्दीपन, जिसे विश्वास करने वालों और विश्वास न करने वालों के बीच किसी विभाजन के आधार पर घृणा को उद्दीप्त करने के समान रखा जा सकता है ; और जिसे यूरोप की परिषद् के मंत्रियों की समिति की 'घृणापूर्ण भाषण' पर सिफारिश के शब्दों का प्रयोग करते हुए 'आक्रामक राष्ट्रवाद और जाति संबंधी केंद्रवाद द्वारा अभिव्यक्त की गई' असहिष्णुता पर आधारित घृणा के अन्य रूपों का उद्दीपन कहा जा सकता है ।[46]

4.12 बहुलवाद, सहिष्णुता, शांति और अ-विभेद शब्दों को कन्वेंशन के अधीन अनुज्ञा दिए गए स्वतंत्र भाषण की सीमा का अभिनिश्चय करने में यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय द्वारा मूल्यों का अल्पीकरण न करने वाला माना गया है । धार्मिक असहिष्णुता, नकारवाद,

---

[45] सिफारिश सं0 आर(97) 20, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf पर उपलब्ध है, (अंतिम बार दिसंबर 30, 2016 को देखी गई) ; जन मीडिया-नीति संबंधी चौथे यूरोपीय अनुसचिवीय सम्मेलन के बारे में मानव अधिकार निदेशालय द्वारा तैयार की गई महासचिव की संक्षिप्त रिपोर्ट को भी देखिए (प्राग, दिसंबर 7-8, 1994), निम्नलिखित पर उपलब्ध है :

https://wcd.coe.int/com.intranet.InstraServelt?command=com.instranet.CmdBlogGet&InstranetImage=411463&SEcMode=1&DocId=517420&Usage=2 (दिसंबर 25, 2016 का अंतिम बार देखा गया), परिशिष्ट ।।।, पैरा 7 ।

[46] एनी वेबर, मैनुअल आन हेट स्पीच, https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf पर उपलब्ध है (दिसंबर 28, 2016 को अंतिम बार देखा गया) ।

समानता-भय आदि का प्रसार करने वाले भाषण को यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 के क्षेत्र से अलग रखा गया है और किसी बहुल सांस्कृतिक समाज में उत्तरदायित्वपूर्ण भाषण के महत्व पर न्यायालयों द्वारा कई मामलों में जोर दिया गया है ।

घृणापूर्ण भाषण का अवधारण करने के लिए परीक्षण

4.13 न्यायालयों द्वारा यह मान्यता देने के लिए कि कोई भाषण घृणापूर्ण भाषण है या नहीं, तीन परीक्षण अपनाए गए हैं । एक बार यदि यह स्थापित हो जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप हुआ है, तो न्यायालय ऐसे हस्तक्षेप की विधिसंगतता का अवधारण करने के लिए तीन प्रकार के विश्लेषण का आश्रय लेता है :[47]

(क) क्या हस्तक्षेप विधि द्वारा विहित है ?

वह विधि, जो यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 की परिसीमा की अनुज्ञा देती है, कानून द्वारा अवश्य विहित होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए, जिससे कि नागरिक विधि के अनुसार अपने आचरण को विनियमित कर सकें और अननुज्ञेय आचरण के परिणामों को पहले से जान सकें ।[48]

(ख) क्या हस्तक्षेप अनुसरित विधिसम्मत उद्देश्य के अनुपात में है ?

न्यायालय द्वारा हैंडीसाइड बनाम यूनाइटेड किंगडम[49] में यह मत व्यक्त किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 10(2) के अधीन राज्य द्वारा अधिरोपित निर्बंधन 'अनुसरित विधिसम्मत उद्देश्य के अनुपात' में ही होने चाहिए ।

(ग) क्या हस्तक्षेप लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक है ?

यह परीक्षण यह अवधारण करने के लिए तथ्य की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने की अपेक्षा करता है कि क्या स्वतंत्रता विधिसम्मत सामाजिक आवश्यकता के

[47] पूर्वोक्त ।

[48] डेल्फी एस बनाम एस्टोनिया, आवेदन सं0 64569/09 (2015) ।

[49] पैरा 30 पर उपर्युक्त टिप्पण 30 ।

अनुसरण में सीमित थी और यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन में निहित सिद्धांतों और मूल्यों का संरक्षण करने के क्रम में थी ।[50]

4.14 हैंडीसाइड[51] में न्यायालय ने यह टिप्पण किया कि अनुच्छेद 10 पर प्रत्येक निर्बंधन की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि प्रत्येक घृणोत्पादक भाषण अधर्मज नहीं होता है । यह निष्पक्षता की पहुंच, जो सभी प्रकार के भाषणों को एक ही मंच पर रखती है, स्वतंत्र भाषण के उदार दृष्टिकोण का विस्तार है ।

4.15 तथापि हाल के वर्षों में यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय इस कठोरतम निष्पक्ष पहुंच से दूर हट गया है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को केवल मात्र 'धर्मज उद्देश्य ' परीक्षण पर ही न्यायनिर्णीत नहीं किया जाता है किन्तु इस पर भी किया जाता है कि क्या ऐसा हस्तक्षेप किसी लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक था । स्वतंत्र भाषण संबंधी सिद्धांत की आलोचनाओं में से एक यह है कि किसी असमान समाज में स्वतंत्र भाषण बहुधा अ-विभेद के लिए प्रतिबद्धता के साथ विरोध में होता है । सभी प्रकार के भाषणों को, घृणोत्पादक को भी, संरक्षण देना बहुत बार समानता के हेतुक को दूषित कर देता है । यूरोपीय मानव अधिकार न्यायशास्त्र इन दो सिद्धांतों में सामंजस्य लाने का प्रयास करता रहा है ।

4.16 'मूलवंशता और असहिष्णुता के विरुद्ध यूरोपीय आयोग' ने अपनी सिफारिश सं0 7 में स्पष्ट रूप से अनुबंध किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग को 'मूलवंशता का सामना करने की दृष्टि से निर्बंधित किया जा सकता है' ।[52] कोई ऐसा निर्बंधन यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन के अनुरूप होना चाहिए । यूरोपीय देश की विधियों का पुनरीक्षण करने के लिए गठित यूरोपीय लोकतांत्रिक विधि आयोग ने यह टिप्पण किया कि प्रत्येक धार्मिक अपमान को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसमें 'आवश्यक घटक के रूप में घृणा के उद्दीपन का तत्व' न हो ।[53] हाल के वर्षों में निष्पक्षता के सिद्धांत से 'उत्तरदायित्वपूर्ण भाषण' के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय

---

[50] उपर्युक्त टिप्पण 43 ।

[51] उपर्युक्त टिप्पण 30 ।

[52] मूलवंशता और जातिगत विभेद की रोकथाम करने के लिए राष्ट्रीय विधान पर मूलवंशता और असहिष्णुता के विरुद्ध यूरोपीय आयोग की साधारण नीति सिफारिश सं0 7 (दिसंबर 13, 2002), http://www/coe/ints/t/dghl/motioring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n7/ecri03-8%20recommendation%20nr%207.pdf पर उपलब्ध है (दिसंबर 20, 2016 को अंतिम बार देखा गया) ।

[53] पूर्वोक्त पैरा 64 पर ।

के विनिश्चयों में दृष्टिगोचर हुआ है । यद्यपि घृणापूर्ण भाषण को यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु न्यायालय द्वारा यह नि:संदेह स्थापित[54] किया गया है कि ऐसे किसी भाषण को अनुच्छेद 10 के अधीन संरक्षण नहीं दिया गया है।[55]

मूलवंशीय और धार्मिक घृणा

4.17 किसी बहुसांस्कृतिक समाज में मूलवंश और धर्म पर आधारित विभेद ऐसे निर्धारित स्तरों में से एक है, जिस पर भाषण की पराकाष्ठा को नापा जाता है । न्यायालय ने जर्शिल्ड बनाम डेनमार्क[56] में एक पत्रकार की दोषसिद्धि को उलट दिया, जिसने 'ग्रीन जैकेट्स' कहे जाने वाले समूह का, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ उनके मूलवंशीय रुझान को अनावृत्त करने के लिए, साक्षात्कार किया था । डेनमार्क के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्षात्कार की मूलवंशीय अंतर्वस्तु द्वारा कारित मानहानि और अपराध जनता को सूचित किए जाने के अधिकार से अधिक प्रभावशाली हैं ; और इसलिए उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन संरक्षित नहीं किया जा सकता है । यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने इस विनिश्चय को उलट दिया और अभिनिर्धारित किया कि :

> वह दृश्य, जो आवेदक के कार्यक्रम में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस मूलवंशता, असहिष्णुता और सरल स्वभाव की ओर, जिनके लिए प्रश्न में टिप्पणों द्वारा उदाहरण दिए गए थे, ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक था, बजाए इसके कि वह दूसरों की प्रसिद्धि या अधिकारों के लिए अनादर दर्शित करने का एक प्रयास था । ऐसी परिस्थितियों में आयोग यह पाता है कि दूसरों की प्रसिद्धि या अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित करने के लिए विधिसम्मत उद्देश्यों के रूप में, कम प्रभावशाली हैं ।[57]

---

[54] देखिए एम. ओदिएमर, ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण : यूरीपीय मानव अधिकार न्यायालय निर्णयज विधि में घृणापूर्ण भाषण की चुनौती'' 17 कार्दोजो जे. इंटल एंड कंपनी.एल.430 (2009) ।

[55] जर्शिल्ड बनाम डेनमार्क, एप्लीकेशन नं015890/89 (1994) पैरा42 ।

[56] उपरोक्त ।

[57] उपरोक्त ।

4.18 एंथोनी नार्वुड बनाम दि यूनाइटेड किंगडम[58] के मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक का अपनी खिड़की पर 'इस्लाम ब्रिटेन के बाहर-ब्रिटिश जनता को बचाओ' और 'प्रतिषेध चिह्न में अर्धचंद्र और सितारे के प्रतीक वाला'[59] एक पोस्टर प्रदर्शित करने वाला कार्य मूलवंशीय पक्षपात और असहिष्णुता दर्शित करता है । एक धार्मिक समूह पर ऐसा कोई आक्रमण न्यायालय द्वारा अविभेद और सहिष्णुता के सिद्धांतों के विरुद्ध माना गया था ।

समानताभय

4.19 लिंग संबंधी मूल पर आधारित विभेद ने भी ऐसे विनिश्चयों का मार्गदर्शन किया है, जो लैंगिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण करते हैं । वेज्डेलैंड बनाम स्वीडन[60] में यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने स्वीडन उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को बनाए रखा, जिसमें आवेदक समानताभय संबंधी कथन फैलाने के दोषी पाए गए थे । उसने टिप्पण किया कि 'यद्यपि चोट पहुंचाने वाले टिप्पण घृणापूर्ण भाषण की परिधि के अधीन संरक्षित हैं, किन्तु शैक्षणिक संस्थानों में समभयातुर और मूर्छाभयातुर सताने और विभेद की वास्तविक समस्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निर्बंधन को न्यायोचित ठहरा सकती है ।'[61]

4.20 स्वीडेन के उच्चतम न्यायालय ने आवेदकों के अपने विचारों को व्यक्त करने के अधिकार को स्वीकार किया और साथ ही इस पर जोर दिया कि स्वतंत्रताओं और अधिकार के साथ जनता के दायित्व भी हैं ; एक ऐसा दायित्व, जहां तक संभव हो, ऐसे कथनों से बचना है, जो दूसरों को असंगत ढंग से आहत करने वाले हैं, उनके अधिकारों पर हमला करते हैं । उच्चतम न्यायालय ने तत्पश्चात् पाया कि सूचना पत्रों में कथन अनावश्यक रूप से आहत करने वाले थे ।

नकारात्मकता

4.21 गत समय में कतिपय समूहों को मूल अधिकारों से वंचित करने के उदाहरणों को मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक चेतनता आवश्यक है । नकारात्मकता आधारों में से एक

---

[58] आवेदन सं0 23131/03(2004) ।

[59] उपरोक्त ।

[60] आवेदन सं0 1813/07(2012) ।

[61] पूर्वोक्त पैरा 7 पर ।

ऐसा आधार है जिस पर यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने हाल के वर्षों में अनुच्छेद 10 को सीमित किया है । एम'बाला एम'बाला बनाम फ्रांस[62] में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समानताभय विरोध और सर्वनाश नकारने को अनुच्छेद 10 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जा सकता है । ऐसे किसी भाषण को कन्वेंशन के संरक्षण से केवल तब वर्जित नहीं किया जाता है, जब वह अचानक और सीधे होता है किन्तु तब भी जब उसे कलात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को धमकी :

4.22 सर्वाधिकारवाद के सिद्धांत की वकालत करना कन्वेंशन के मूल्यों से असंगत समझा जाता था । चिमानेक बनाम आस्ट्रिया[63] में ऐसे भाषण के कारण आवेदक की दोषसिद्धि को अनुच्छेद 10 के अधीन विधि सम्मत हस्तक्षेप घोषित किया गया था, जो लोकतांत्रिक आदेश के संरक्षण के लिए आवश्यक था ।

घृणापूर्ण भाषण और इंटरनेट :

4.23 जबकि इंटरनेट ने विश्व को एक छोटा और आपस में जुड़ा हुआ स्थान बना दिया है, उसने अभिव्यक्ति के अनियमित रूपों के लिए भी स्थान का सृजन किया है । डेल्फ बनाम एस्टोनिया[64] में आवेदक एस्टोनियन न्यायालय के आदेश के विरुद्ध न्यायालय आए थे, जहां आवेदकों (इंटरनेट समाचार पोर्टल के स्वामियों को) उनकी वेबसाइट पर डाले गए उपयोगकर्ता जनित्र टिप्पणों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था । यह पहला मामला था, जहां न्यायालय को प्रौद्योगिकी नव-निर्माणों के क्षेत्र में अनुच्छेद 10 की परिधि की परीक्षा करनी पड़ी ।

4.24 न्यायालय ने यह कहा कि जब कि इंटरनेट सूचना और मतों का प्रसारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, यह अविधिपूर्ण भाषण का प्रसारण करने के लिए भी मंच प्रदान करता है । न्यायालय ने इन दो विरोधी 'वास्तविकताओं में सामंजस्य लाने के लिए'[65] आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कन्वेंशन में घोषित अन्य

[62] आवेदन सं0 25239/13(2015) ।

[63] आवेदन सं0 32307/96(2000) ।

[64] उपर्युक्त टिप्पण 48 ।

[65] पूर्वोक्त पैरा 110 पर ।

अधिकारों और मूल्यों की लागत पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है । न्यायालय ने एस्टोनियन न्यायालय का विनिश्चय बनाए रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि :

> .....ऐसे मामलों में जैसा कि वर्तमान मामला है, जहां तीसरे पक्षकार उपयोगकर्ता के टिप्पण घृणापूर्ण भाषण के रूप में हैं और व्यक्तियों की शारीरिक सम्पूर्णता के लिए सीधे धमकी हैं, जैसा कि न्यायालय की निर्णयज विधि में समझा गया है, न्यायालय यह समझता है कि..... दूसरों के और समाज के अधिकार और हित संपूर्ण रूप में संविदाकारी राज्यों को, यदि वे विलंब के बिना अविधिपूर्ण टिप्पण स्पष्ट रूप से हटाने के लिए उपाय करने में असफल होते हैं तो, कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 का उल्लंघन किए बिना इंटरनेट समाचार पोर्टलों पर, अभिकथित पीड़ित से या तीसरे पक्षकारों से बिना सूचना प्राप्त किए भी, दायित्व अधिरोपित करने के लिए हकदार बना सकते हैं ।[66]

4.25 अभिव्यक्ति की अंतर्वस्तु और संदर्भ भाषण की अनुज्ञेयता का विश्लेषण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । न्यायालय कन्वेंशन के अधीन दिए जाने वाले संरक्षण से भाषण को अपवर्जित करने के पूर्व विभिन्न कारकों, जैसे टिप्पणों की प्रकृति, टिप्पणों का प्रसारण और संभावी प्रभाव, लक्षित व्यक्ति की प्रास्थिति, टिप्पणों के लेखक की प्रास्थिति, अधिरोपित शास्ति की प्रकृति और गंभीरता आदि का (हस्तक्षेप की आनुपातिकता का अवधारण करने के लिए), ध्यान रखता है ।[67]

संयुक्त राज्य अमरीका

4.26 संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का पहला संशोधन स्वतंत्र भाषण के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाली विधि बनाने से कांग्रेस का निषेध करता है । संयुक्त राज्य अमरीका में भाषण का संरक्षण करने वाला सिद्धांत दो महत्वपूर्ण धारणाओं पर भरोसा करता है, पहली[68] यह कि विचारों की मंडी के मैदान में समानता होनी चाहिए और दूसरी[69] यह कि सरकार को अच्छे और बुरे भाषण के बीच विभेद करने की शक्ति नहीं दी जा सकती है । भाषण को

---

[66] पूर्वोक्त पैरा 159 पर ।

[67] उपर्युक्त टिप्पण 43 देखिए ।

[68] शिकागो सिटी पुलिस विभाग बनाम मोसले, 408 यू.एस. 92 (1972) ।

[69] कोहेन बनाम कैलिफोर्निया,403 यू.एस. 15 (1971) ।

दिया गया कठोर संरक्षण संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की विशेषताओं में से एक है ।[70]

4.27 चैप्लिंस्की बनाम न्यूहेम्सफायर[71] एक महत्वपूर्ण मामला था, जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने भाषण के विभिन्न वर्गों के बीच विभेद किया और यह अभिनिर्धारित किया कि भाषण के कतिपय ऐसे रूप हैं, जैसे लड़ाकू शब्द, अशिष्टताएं, कतिपय दूषित करने वाला और अपमानजनक भाषण, जिन्हें पहले संशोधन के अधीन संरक्षण से अपवर्जित किया गया है । अत: न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे 'कम मूल्य वाले भाषण' को निर्बंधित करने वाली विधियां संवैधानिक थीं और चैप्लिंस्की की दोषसिद्धि को राज्य विधि के अधीन, जिसने घृणोत्पादक और उपहासजनक भाषण को दंडित किया था, बनाए रखा ।

4.28 चैप्लिंस्की[72] पर भरोसा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ब्यूहार्नायस बनाम इलिनाय[73] में मूलवंश, रंग, पंथ या धर्म के आधारों पर अशांति के बराबर या शांति का भंग करने के लिए अपमानलेख का प्रतिषेध करने वाली राज्य विधि के अधीन ब्यूहार्नायस की दोषसिद्धि को बनाए रखा । न्यायालय ने ऐसे भाषण को पहले संशोधन के क्षेत्र के बाहर माना, और यह कहा कि 'ऐसे उच्चारण विचारों के किसी अनावरण का आवश्यक भाग नहीं हैं और सत्य के एक कदम के रूप में ऐसे हल्के सामाजिक मूल्य के हैं कि कोई लाभ, जो उनसे प्राप्त किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से व्यवस्था और नैतिकता में सामाजिक हित से कम महत्वपूर्ण होता है ।

4.29 लड़ाकू शब्दों का कोहेन बनाम कैलिफोर्निया[74] में यह अभिप्राय देने के लिए संकीर्ण रूप से अर्थान्वयन किया गया कि 'कि ऐसे व्यक्तिगत रूप से गाली-गलौज वाले विशेषण जो, जब साधारण नागरिक को उनसे संबोधित किया जाता है, सामान्य ज्ञान के रूप में अंतर्निहित रूप से हिंसात्मक प्रतिक्रिया उकसाने के लिए संभाव्य है ।[75] यह कारण दिया गया था कि

---

[70] देखिए न्यूयार्क टाइम्स, उपर्युक्त टिप्पण 32 ; और ह्वीटने बनाम कैलिफोर्निया 274 यू.एस. 357 (1927) ।

[71] 315 यू.एस. 568 (1942) ।

[72] पूर्वोक्त ।

[73] 343 यू.एस. 250 (1952) ।

[74] 403 यू.एस. 15 (1971) ।

[75] पूर्वोक्त 20 पर ।

राज्य का उद्देश्य प्रत्येक विवादात्मक शब्दावली को नियंत्रित करना नहीं हो सकता है जिससे कि वार्तालाप को 'अतिसंवेदनशीलता के लिए रूचिकर बनाया जाए ।'[76]

4.30 तथापि, इस मामले को न्यूयार्क टाइम्स बनाम सलिवन[77] में उलट दिया गया था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक कि सत्य के पूर्ण अनादर में मानहानि करने के लिए विद्वेषपूर्ण आशय को भाषण के लेखक के भाग पर साबित नहीं किया जाता है, तब तक भाषण को पहले संशोधन का अतिक्रमण करने वाला नहीं समझा जा सकता है । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि :

> .....शासकीय आचरण के आलोचक को अपने सभी वास्तविक प्राख्यानों की सच्चाई की गारंटी देने के लिए - और परिमाण में वस्तुत: असीमित अपमानलेख संबंधी निर्णयों की सतर्कता पर ऐसा करने के लिए - विवश करने वाला नियम - तुलनात्मक रूप से 'स्वयं के संवाद नियंत्रित करने के लिए' मार्गदर्शन करता है..... इस प्रकार यह नियम विभिन्न प्रकार की लोक चर्चाओं की शक्ति और सीमाओं को कम करता है ।

(i) अंतर्वस्तु विभेद और दृष्टिकोण विभेद :

4.31 दो महत्वपूर्ण मामले हुए हैं जिन्होंने घृणापूर्ण भाषण को दंडित करने वाले विधानों को पलट दिया । आर.ए.वी बनाम सेंट पाल[78] में याचिककर्ता को मिनीसोटा के पक्षपात प्रेरित अपराध अध्यादेश (मिनीसोटा वायस मोटिवेटेड क्राइम आर्डिनेंश) के अधीन एक काले परिवार के पारिवारिक घास वाले मैदान में एक क्रॉस जलाने के लिए आरोपित किया गया था । इस मामले में न्यायालय ने चेप्लिंस्की[79] में अधिकथित लड़ाकू शब्द सिद्धांत का संकीर्ण रूप से अर्थान्वयन किया । न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि भाषण का अंतर्वस्तु आधारित प्रतिषेध, असंरक्षित भाषण के प्रवर्गों के लिए भी, पहले संशोधन के अधीन प्रतिषिद्ध है । अध्यादेश को अविधिमान्य समझा गया था क्योंकि उसने चयनात्मक विषय वस्तु पर, अर्थात् मूलवंश, रंग, पंथ या लिंग के आधार पर, कतिपय शब्दों का प्रतिषेध किया था । ऐसी चयनात्मकता को अंतर्वस्तु और दृष्टिकोण विभेद के रूप में समझा गया था और इसलिए उसे पहले संशोधन के अधीन अविधिमान्य समझा गया था ।

---

[76] पूर्वोक्त 25 पर ।

[77] उपर्युक्त टिप्पण 32 ।

[78] 505 यू.एस. 377 (1992) ।

[79] उपर्युक्त टिप्पण 71 ।

(ii) आचरण और अभिव्यक्ति में भेद करना :

4.32 अविधिपूर्ण आचरण और केवल स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बीच विभाजन हैं । विशकान्सिन बनाम माइकल[80] में घृणापूर्ण भाषण को दंडित करने वाले एक कानून को न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया था ।[81] न्यायालय ने इस मामले को अभिव्यक्ति और आचरण के बीच अंतर करके आर.ए.वी.[82] से सुभिन्न किया । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि :

> आर.ए.वी. में हमारे अंतिम विनिश्चय में की कोई बात यहां भिन्न परिणाम के लिए विवश नहीं करती है । उस मामले में ऐसे 'लड़ाकू शब्दों' के उपयोग का, जो 'मूलवंश, रंग, पंथ, धर्म या लिंग' के आधार पर अपमान करते हैं या हिंसा को प्रेरित करते हैं, प्रतिषेध करने वाले किसी नगर निगम के अध्यादेश के प्रथम संशोधन से संबंधित आपत्ति अंतर्वलित थी ।.....क्योंकि अध्यादेश में केवल उन 'लड़ाकू शब्दों' के वर्ग को विहित किया गया था, जिन्हें नगर द्वारा विशेष रूप से घृणात्मक समझा गया था अर्थात्.....वे शब्द, जिनमें 'पक्षपात-प्रेरित' घृणा के संदेश अंतर्विष्ट थे.....हमने अभिनिर्धारित किया कि उसने अंतर्वस्तु आधारित विभेद के विरुद्ध नियम का अतिक्रमण किया था ।.....किन्तु जहां आर.ए.वी. में विखंडित किया गया अध्यादेश स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति (अर्थात्, 'भाषण' या 'संदेश') पर निदेशित था, यहां इस मामले में कानून का लक्ष्य पहले संशोधन द्वारा असंरक्षित आचरण है ।

(iii) भाषण को घृणापूर्ण भाषण के रूप में अर्हित होने के लिए परीक्षण

4.33 भाषण को घृणापूर्ण भाषण के रूप में अर्हित होने के लिए, अभिव्यक्ति को चैंक बनाम यूनाइटेड स्टेट्स[83] में विस्तार रूप से व्याख्या किए गए स्पष्ट और वर्तमान खतरे के परीक्षण के लिए अर्हित होना चाहिए । स्पष्ट और वर्तमान खतरे के परीक्षण को ब्रांडेन वर्ग

---

[80] 508 यू.एस. 47 (1993) ।

[81] इस कानून के अधीन किसी विभेदक दृष्टिकोण के अनुसरण में किया गया सदोष आचरण उस आचरण की तुलना में, जो ऐसे विश्वास से प्रेरित नहीं है, भारी दंड को आकर्षित करता है ।

[82] उपर्युक्त टिप्पण 78 ।

[83] 249 यू.एस. 47 (1919) ।

बनाम ओहायो[84] में अविधिपूर्ण कार्रवाई की आसन्न धमकी संबंधी परीक्षण के लिए पुन: बनाया गया था । न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रताएं किसी राज्य को शक्ति के प्रयोग या विधि के उल्लंघन की वकालत करने से रोकने की अनुज्ञा नहीं देती हैं, सिवाय उस दशा के जहां ऐसी वकालत आसन्न अविधिपूर्ण कार्रवाई को उद्दीप्त करने या करने के लिए निदेशित है और उससे ऐसी कार्रवाई को उद्दीप्त करने या करने की संभावना है ।

कनाडा

4.34 कनाडा अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर विचार, विश्वास, राय और अभिव्यक्ति की गारंटी, विधि द्वारा विहित केवल ऐसी युक्तियुक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए देता है, जिन्हें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में तर्क द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सके ।[85] इसके अनुसरण में कनाडा दंड संहिता की धारा 319, आर.एस.सी.1985 घृणा के लोक उद्दीपन को दंडित करती है ।

4.35 कनाडा में घृणापूर्ण भाषण के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय आर.वी. कीग्स्ट्रा[86], आर.वी.एन्ड्रूज[87] और कनाडा मानव अधिकार आयोग बनाम टेलर[88] में हैं । कीग्स्ट्रा में, कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

> संसद् ने उस भारी नुकसान को माना है जो घृणापूर्ण प्रचार से हो सकता है और लक्ष्यित समूह सदस्यों द्वारा सहन किए जाने वाले दर्द का निवारण करने का प्रयास करने और मूलवंशीय, जातिगत और धार्मिक तनाव और कदाचित कनाडा में हिंसा भी कम करने के लिए पहचान योग्य समूहों के विरुद्ध घृणा के जानबूझकर संप्रवर्तन करने को दबाने का विनिश्चय किया है । संसद् के उद्देश्य का समर्थन न केवल विभिन्न

---

[84] 395 यू.एस. 44 (1969) । अपीलार्थी को ऐसे एक इलीनोय कानून के अधीन सिद्धदोषी ठहराया गया था जो ''किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे किसी शिला मुद्रित लेख, गतिमान चित्र, खेल, नाटक या रेखाचित्र का, जो किसी मूलवंश, रंग, पंथ या धर्म की दुराचारिता, आपराधिकता, अपवित्रता, किसी वर्ग के नागरिकों के सद्गुणों की कमी को चित्रित करता है, विज्ञापित करता है या प्रकाशित करता है, प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है जो प्रकाशन या प्रदर्शन किसी मूलवंश, रंग, पंथ या धर्म के नागरिकों को अवमान, हंसी या बदनामी के लिए अनावृत्त करता है या जो शांति के भंग या बलवा का उत्पादक है, अपराध बनाता है ।''

[85] धारा 2 ।

[86] (1990) 3 एससीआर 697 ।

[87] (1990) 3 एससीआर 870 ।

[88] (1990) 3 एससीआर 892 ।

अध्ययन समूहों द्वारा, किन्तु घृणा के संप्रवर्तन के संभाव्य अनिष्टकारी प्रभाव के हमारे सामूहिक ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा भी, होता है । इसके अतिरिक्त घृणापूर्ण प्रचार का उन्मूलन करने की अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता और चार्टर की धारा 15 और धारा 27 में समानता और बहुसंस्कृतिवाद के मूल्यों के प्रति कनाडा की वचनबद्धता इस उद्देश्य के महत्व की जोरदार पुष्टि करती हैं ।[89]

(iv) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर परिसीमा अवधारित करने के लिए परीक्षण :

4.36 न्यायालय ने कीग्स्ट्रा[90] में उस उद्देश्य की, जिसे प्राप्त करना चाहा गया था, परिसीमा की आनुपातिकता का अवधारण करने के लिए आर.वी.ओक्स[91] में अधिकथित परीक्षण के प्रति निर्देश किया । ओक्स[92] में निर्बधन की आनुपातिकता का अधिनिर्णय करने के लिए अपनाए जाने वाले तीन उपाय निम्नलिखित हैं :

- निर्बंधन/परिसीमा का उस उद्देश्य के साथ, जिसे प्राप्त करना चाहा गया है, तार्किक संबंध अवश्य होना चाहिए ।
- चाहे वह इस पहले अर्थ में उद्देश्य से तार्किक रूप से संबंधित हो, तो भी उसे प्रश्नगत अधिकार या स्वतंत्रता को 'यथासंभव कम' हानि पहुंचानी चाहिए ।
- उन अध्युपायों के, जो चार्टर के अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए उत्तरदायी हैं, प्रभावों और उस उद्देश्य के बीच, जिसे 'पर्याप्त महत्व' के रूप में पहचाना गया है, अवश्य ही आनुपातिकता होनी चाहिए ।

4.37 ससकाट्चेवन (मानव अधिकार आयोग) बनाम वाटकोट[93] में न्यायालय ने यह अवधारण करने के लिए तीन परीक्षण अधिकथित किए कि क्या कोई अभिव्यक्ति घृणापूर्ण भाषण के रूप में अर्हित हो सकती है या नहीं । पहला यह कि न्यायालयों को युक्तियुक्त व्यक्ति के परीक्षण को लागू करके निष्पक्ष रूप से घृणापूर्ण भाषण के प्रतिषेधों को लागू करना चाहिए । दूसरा यह कि विधायी शब्द 'घृणा' या 'घृणा या अवमान' का निर्वचन

---

[89] उपर्युक्त टिप्पण 86 ।

[90] पूर्वोक्त ।

[91] (1986) 1 एससीआर 103 ।

[92] पूर्वोक्त ।

[93] (2013) 1 एससीआर 467 ।

भावनाओं के चरम रूप को अर्थ देने के लिए किया जाना चाहिए । तीसरा यह कि लक्ष्यित समूह पर अभिव्यक्ति के प्रभाव का न्यायालय द्वारा अवधारण होना चाहिए ।

4.38 कनाडा की विधियां झूठे और विभेदकारी कथनों को, जो अभिव्यक्तियां शांति भंग करने के लिए संभावित हैं, निर्बंधित करने का प्रयास करती हैं । आर.वी.जून्डेल[94] में न्यायालय ने यह कहा कि झूठे समाचारों को, जो झूठे होने के लिए ज्ञात हैं, प्रकाशित और प्रसारित करने से लोकहित को क्षति कारित होने की संभावना है । इसका निवारण किया जाना चाहिए क्योंकि यह कनाडा में समाज और बहुसंस्कृतिवाद के लिए संभावित रूप से हानिपूर्ण हैं । रोस बनाम न्यूब्रंशविक स्कूल डिस्ट्रिक्ट नं0 15[95] में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सामी -विरोधी लेखन और कथन द्ववेषपूर्ण, विभेदकारी या 'विषैले' शैक्षिक वातावरण के लिए योगदान करते हैं ।

दक्षिण अफ्रीका

4.39 दक्षिण अफ्रीका के संविधान की धारा 16 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देती है । तथापि यह स्वतंत्रता धारा 16(2) के अधीन निम्न परिसीमाओं के अधीन रहते हुए है, अर्थात् , '(क)' युद्ध के लिए प्रचार ; (ख) आसन्न हिंसा का उद्दीपन ; या (ग) घृणा की वकालत, जो मूलवंश, जाति संबंध, लिंग या धर्म पर आधारित हो और जो हानि कारित करने के लिए उद्दीपन का गठन करती हो । दक्षिण अफ्रीका का संविधान घृणापूर्ण भाषण को स्पष्ट रूप से एक अपवाद के रूप में मान्यता देता है ।

4.40 एक हाल के मामले में, दक्षिण अफ्रीका में समानता न्यायालय ने नोमासोमी ग्लोरिया केन्टे बनाम एंड्रेवेन डेवेंटर[96] में एक घरेलू काम करने वाले को, उसे घृणापूर्ण भाषण का विषय बनाने के लिए, नुकसानी दिलवायी । समानता का संप्रवर्तन और अनुचित विभेद का निवारण अधिनियम 2000 की धारा 10 किसी व्यक्ति को एक या अधिक प्रतिषिद्ध आधारों पर आधारित ऐसे शब्दों को, जिनका चोट पहुंचाने वाले, हानि पहुंचाने वाले या हानि उद्दीप्त करने वाले, घृणा संप्रवर्तित करने वाले या उसका प्रचार करने वाले का स्पष्ट आशय रखने का संप्रदर्शन करने वाले के रूप में अर्थ लगाया जा सके, किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रकाशित करने, प्रचार करने, उनकी वकालत करने या उन्हें संसूचित करने से प्रतिषिद्ध करती है ।

---

[94] (1992) 2 एससीआर 731 ।

[95] (1996) 1 एससीआर 825 ।

[96] 26 (2015) डेरेबस 45 ।

अध्याय 5

घृणापूर्ण भाषण की कसौटी को पहचानना

5.1 भाषण की स्वतंत्रता किसी लोकतंत्र समाज का मर्म है और परिसीमाएं संवीक्षा किए जाने के अधीन हैं । भारत के उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ[97] में भाषण, वाद-विवाद, वकालत और उद्दीपन के तीन रूपों के बीच विभेद किया था । न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भाषण को अनुच्छेद 19(2) में वर्णित अपवादों के आधारों पर, जब वह उद्दीपन के प्रारंभ पर पहुंच जाए, परिसीमित किया जा सकता है । भाषण के सभी अन्य रूपों का, चाहें वे घृणात्मक या अप्रसिद्ध हों, अनुच्छेद 19(1) (क) के अधीन संरक्षण किया जाना है । उद्दीपन स्वतंत्र भाषण पर निर्बंधन की संवैधानिकता का अवधारण करने के लिए मुख्य आधार है ।

5.2 कुछ देशों में न्यायालय घृणापूर्ण भाषण की कसौटी की पहचान करने से विरत रहे हैं । तथापि विभिन्न राज्य अधिकारिताओं के विनिश्चयों का विश्लेक्षण करके कतिपय मानदंडों को संक्षेप में निम्न प्रकार से बताया जा सकता है :

(i) भाषण की चरमता

5.3 घृणापूर्ण भाषण के रूप में अर्हित होने के लिए भाषण को अवश्य ही घृणोत्पादक होना चाहिए और भावनाओं का चरम रूप दर्शित करना चाहिए ।[98] तथापि प्रत्येक घृणोत्पादक कथन घृणोत्पादक भाषण के बराबर नहीं होता । संवेदनशील और अप्रसिद्ध विवाद्य-विषय की वकालत और उस पर विचार-विमर्श संबंधी अभिव्यक्तियों को 'कम मूल्य वाला भाषण' के रूप में शब्द दिए गए हैं, जो संवैधानिक संरक्षण के लिए अर्हित नहीं हैं ।[99]

---

[97] उपर्युक्त टिप्पण 24 देखिए ।

[98] ससकटचेवन उपर्युक्त टिप्पण 93 ।

[99] चैप्लिंस्की उपर्युक्त टिप्पण 71 ।

(ii) उद्दीपन

5.4 श्रेया सिंघल[100] में भाषण को निर्बंधित किए जाने के लिए उद्दीपन के बराबर होना चाहिए । यह भाषण को परिसीमित करने का स्वीकृत संन्नियम हैं । संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित अविधिपूर्ण कार्रवाई के लिए आसन्न भय संबंधी परीक्षण उसी तर्क को प्रतिध्वनित करता है ।[101] इसके अतिरिक्त विभेद के लिए उद्दीपन घृणापूर्ण भाषण के सिद्धांतों में ही निहित है । घृणापूर्ण भाषण के सिद्धांत हमेशा दो संकल्पनाओं, स्वतंत्रता और समानता के साथ विरोध में रहे हैं । स्वतंत्र भाषण के प्रतिपादक विश्वास करते हैं कि समानता इस सिद्धांत का अभिन्न भाग है क्योंकि वह 'विचारों की मंडी में समानता' का संप्रवर्तन करता है ।[102] तथापि स्वतंत्र भाषण के आलोचक सुझाव देते हैं कि तटस्थता की यह धारणा, जहां सभी भाषणों को समान स्थिति प्रदान की गई है, बहुधा विभेदकारी वातावरण का सृजन करने के लिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और सीमांतकों के लिए, क्योंकि वे अपनी आवाज सुनी जाने के लिए साधारणतया सुस्थापित नहीं होते हैं, मार्गदर्शन करती है । वे तर्क देते हैं कि धन और शक्ति की बड़ी असमानता की दृष्टि से, स्वतंत्र भाषण की औपचारिक समानता का परिणाम विचारों की मंडी में बड़े आधार पर सारवान विभेद में होता है ।[103]

5.5 स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं, न कि एक दूसरे के विपरीत । भाषण की स्वतंत्रता का आशय समाज के कमजोर वर्गों का अनादर करना नहीं है किन्तु उन्हें समान आवाज प्रदान करना है । इसी प्रकार समानता का आशय इस स्वतंत्रता को दबाना नहीं है किन्तु उसे बहुसांस्कृतिक और बहुल विश्व की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना है, परंतु यह तब जबकि ऐसी विवशता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुचित रूप से अतिलंघन न करती हो । इस प्रकार केवल हिंसा के लिए ही नहीं किन्तु विभेद के लिए भी उद्दीपन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए आधार के रूप में माना गया है ।

---

[100] उपर्युक्त टिप्पण 24 ।

[101] उपर्युक्त टिप्पण 84 ।

[102] उपर्युक्त टिप्पण 68 ।

[103] जे.वेन्स्टिन, हेट स्पीच, पोर्नोग्राफी एंड रेडिकल अटैक आन फ्री स्पीच डाक्ट्रिन 93 (वेस्टविव्यू प्रेस, कोलाराडो,1999)

(iii) भाषण के लेखक की प्रास्थिति

5.6 यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने यह माना है कि भाषण के लेखक की स्थिति राज्य द्वारा अधिरोपित परिसीमा की वैधता का अवधारण करने में महत्वपूर्ण हैं । इस प्रकार किसी राजनीतिज्ञ की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बाधाएं..... न्यायालय की ओर से सघनतम संवीक्षा करने के लिए मांग करती हैं ।[104] उच्चतम न्यायालय से प्रवासी भलाई संगठन[105] में वैसे ही आधार पर घृणापूर्ण भाषण को रोकने के लिए प्रार्थना की गई थी । याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं द्वारा दिए गए ''घृणापूर्ण भाषणों को'' असंवैधानिक घोषित करने के लिए हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी । याचिका विनिर्दिष्ट रूप से जनता को संबोधित की गई थी, जिसके पास समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करने की शक्ति है । न्यायालय ने घृणापूर्ण भाषण के नकारात्मक प्रभाव को मानते हुए इस मामले को विधि आयोग को उसकी गहराई से परीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट कर दिया ।

(iv) भाषण के पीड़ितों की प्रास्थिति

5.7 लक्षित दर्शक की प्रास्थिति भी यह अवधारण करने में महत्वपूर्ण है कि क्या कोई भाषण परिसीमित किया जा सकता है । यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने लिंगेंस बनाम आस्ट्रिया[106] में जनता और प्राइवेट व्यक्तियों की प्रास्थिति के बीच इस संबंध में विभाजन किया और यह टिप्पणी की कि :

> .....स्वीकार्य आलोचना की परिसीमाएं तदनुसार किसी राजनीतिज्ञ के बारे में उस रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति से अधिक विस्तृत हैं । पश्चातवर्ती से असमान रूप में, पूर्ववर्ती आवश्यक रूप से और जानबूझकर स्वयं को, अपनी प्रत्येक कथनी और करनी की पत्रकारों और जनता द्वारा विस्तारपूर्वक सघन संवीक्षा किए जाने के लिए, खुला रखता है और उसे परिणामस्वरूप अवश्य ही सहनशीलता की अधिक मात्रा प्रदर्शित करनी चाहिए ।

---

[104] इंकल बनाम टर्की, आवेदन सं0 41/1997/825/1031 (1998)

[105] उपर्युक्त टिप्पण 11 ।

[106] (1986) 8 ईएचआरआर 407 ।

(v) भाषण की संभाव्यता

5.8 भाषण दिए जाने के समय वक्ता की मानसिक स्थिति का अवधारण करने के लिए भाषण के संभावित प्रभाव को देखा जाना चाहिए । रमेश बनाम भारत संघ[107] में उच्चतम न्यायालय ने निर्बंधन की विधिमान्यता की परीक्षा उस सिनेमा के संभावित प्रभाव के आधार पर की, जो दर्शकों पर पड़ने वाला था ।

(vi) भाषण का संदर्भ

5.9 घृणा से भरा हुआ प्रतीत होने वाले प्रत्येक भाषण को घृणापूर्ण भाषण के रूप में नहीं माना जा सकता । वह संदर्भ, जिसमें भाषण दिया गया है, उसकी अनुज्ञेयता का अवधारण करने में आवश्यक है । अभिव्यक्ति का संदर्भ सदैव निर्बंधन का अधिनिर्णय किए जाते समय देखा गया है ।[108]

विनियमन की रीति- विसम्मति और गैर बहुमत वाले भाषण का आदर करते हुए

5.10 घृणापूर्ण भाषण को विनियमित करने के किसी प्रयास के लिए ऐसी आलोचना और विसम्मति के लिए स्थान को संकुचित करने की आवश्यकता नहीं है, जो स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के किसी व्यक्ति के मानव अधिकार के अंतर्गत हैं । परिणामस्वरूप, सभी घृणापूर्ण भाषणों को विधि सम्मत रूप से विधिक प्रतिषेध का विषय नहीं बनाया जा सकता ।[109] कम से कम हिंसा का आशय और उसके उद्दीपन के तत्व घृणापूर्ण भाषण से संबंधित किसी विधान को बनाने में अवश्य ही सम्मिलित किए जाने चाहिए । हिंसा का उद्दीपन और भय की तात्कालिकता को भी यह अवधारण करने में कि ऐसा भाषण प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए या नहीं, सुसंगत कारक समझा गया है ।[110]

5.11 विस्तृत रूप से अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी विधियां अपेक्षा करती हैं कि ऐसे अध्युपाय, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिसीमित या निर्बंधित करते हैं,

---

[107] उपर्युक्त टिप्पण 21 ।

[108] देखिए, उदाहरण बाबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून, एआईआर 1996 एससी 1846 ।

[109] यूएनजीए, छाछठवां सत्र, ''राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर विशेष रिपोर्टर फ्रैंक ला रुई की रिपोर्ट'' (सितंबर 7, 2012) यूएन डीओसी ए/67/357, पैरा 32, 33 ।

[110] देखिए, अर्थात् चैप्लिंस्की उपर्युक्त टिप्पण 71 (लड़ाकू शब्दों के सिद्धांत को अधिकथित करना) ।

केवल वहीं ऐसा कर सकते हैं, जहां 'तीन भाग वाले परीक्षण'[111] का समाधान हो जाता है । यह मानक अपेक्षा करता है कि उस अध्युपाय को, जिसके द्वारा मानव अधिकार कम किया जाता है, निम्नलिखित अपेक्षाओं का समाधान अवश्य करना चाहिए :

- अध्युपाय विधि द्वारा विहित किया जाना चाहिए । इस अपेक्षा का समाधान वहां हो जाता है जहां अधिकार को समुचित प्रक्रियाओं द्वारा पारित किसी विधि के साधनों द्वारा और ऐसे उपबंधों द्वारा, जो स्पष्ट तथा असंदिग्ध भाषा के शब्दों में लिखे गए हों, कम किया जाता है । (विधि द्वारा विहित)

- अध्युपाय को सीधे किसी विधि सम्मत उद्देश्य का समाधान करना चाहिए (विधि सम्मत उद्देश्य)

- अध्युपाय अपने कथित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होना चाहिए और उस हानि के अनुपात में होना चाहिए जिसका वह निवारण करने का या जिसे वह प्रतितोष देने का प्रयास करता है । इस संदर्भ में आनुपातिकता के मानक के बारे में यह समझा जाता है कि उसमें निर्बंधित किए जाने वाले अधिकार के न्यूनतम ह्रास के लिए अपेक्षा सम्मिलित है अर्थात् निर्बंधन को उस अधिकार का उससे अधिक नुकसान नहीं करना चाहिए जितना उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्णरूप से आवश्यक है । [आवश्यकता और आनुपातिकता]

[111] संयुक्त राज्य मानव अधिकार कन्वेंशन, ''साधारण टिप्पण 34'' एक सौ दो वां सत्र जुलाई 11-29, 2011 (जुलाई 21, 2011), यूएन डीओसी सीसीपीआर/सी/जीसी/34, पैरा 22 ; संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद्, ''विभेद निवारण और अल्संख्यक संरक्षण संबंधी संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग'', इकतालीसवां सत्र (1984) ''सिविल और राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में उपबंधों की परिसीमा और अल्पीकरण के बारे में सिरकूसा सिद्धांत (सितंबर, 28, 1984) उपाबंध यूएन डीओसी ई/सीएन4/1984/4 पैरा 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सिरकूसा सिद्धांत कहा गया है) ; दि संडे टाइम्स बनाम यूनाइटेड किंगडम (1979) ईएचआरआर 245 ; पत्रकारिता के व्यवसाय के लिए विधि द्वारा विहित किसी संगम की अनिवार्य सदस्यता, सलाहकार राय ओसी-5/85, इंटर-अमरीकन मानव अधिकार न्यायालय सिरीज ए नं0 5 (नवम्बर 13, 1985) ; मीडिया राइट्स एजेंडा बनाम नाइजीरिया (2000) एएचआरएलआर 262 ।

अध्याय 6

दड विधि का पुनरीक्षण

".....यह कि विधि निश्चित होगी, और यह कि वह न्यायसंगत होगी और समय के अनुसार गतिमान होगी ।"

लार्ड रीड, विधि बनाने वाले के रूप में न्यायाधीश[112]

6.1 घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि किसी परिभाषा में कोई संदिग्धता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 की पूर्ववर्ती धारा 66क, जो श्रेया सिंघल[113] में विखंडित की गई थी, ऐसा एक उदाहरण है, जिसमें विधिक उपबंध की अस्पष्टता ने विधि के दुरुपयोग का मार्गदर्शन किया । विधि की निश्चितता ऐसे आधारों में से एक है जिसे यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने राज्य द्वारा अधिरोपित निर्बंधन की वैधता का अवधारण करने में अंगीकार किया था । अत: घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित करने के किसी प्रयास को पूर्वोक्त वर्णित मानदंडों को अवश्य पूरा करना चाहिए ।

6.2 हिंसा का उद्दीपन यह अवधारण करने के लिए कि कोई भाषण घृणापूर्ण भाषण के बराबर है या नहीं, केवल मात्र परीक्षण नहीं हो सकता । ऐसा भाषण भी, जो हिंसा का उद्दीपन नहीं करता है, समाज के एक निश्चित वर्ग या व्यक्ति को सीमांत पर लाने की संभावना रखता है । प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट की अनामिकता किसी बदमाश को आसानी से झूठे और घृणापूर्ण विचार फैलाने देती है । ये विचार आवश्यक रूप से हिंसा उद्दीप्त नहीं करते हैं किन्तु वे समाज में प्रचलित विभेदकारी प्रवृत्तियों को स्थायी बनाए रख सकते हैं । इस प्रकार विभेद का उद्दीपन भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो घृणापूर्ण भाषण की पहचान में योगदान देता है ।

6.3 'घृणापूर्ण भाषण' शब्द का उपयोग बहुधा उस अभिव्यक्ति को अभिप्रेत करने वाले के रूप में किया गया है, जो निंदात्मक, अपमानजनक, भयोपरतकारी, उत्पीड़ित करने वाली है या जो ऐसी विशिष्टताओं, जैसे किसी के मूलवंश, धर्म, जन्म स्थान, निवास स्थान, प्रदेश,

---

[112] लार्ड रीड, "दि जज ऐज लामेकर" 12 जर्नल आफ दि सोसाइटी आफ पब्लिक टीचर्स आफ ला (1972) (1972) जिसे अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कोमाचेन (मृत) में उद्धृत किया गया था, एलआरएस और अन्य (2017) 2एससीसी 629 ।

[113] उपर्युक्त टिप्पण 24 ।

भाषा, जाति या समुदाय, लिंग प्रारंभ या व्यक्तिगत दोषसिद्धियों द्वारा, पहचाने गए समूहों के विरुद्ध हिंसा, घृणा या विभेद का उद्दीपन करती है । तथापि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि में उसे अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार संबंधी प्रसंविदा के अनुच्छेद 20 में परिभाषित किया गया है । प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और समानता अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों का बुनियादी सिद्धांत है । अत: यह कदाचित आश्चर्यजनक नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय विधि ऐसे कथनों की निंदा करती है, जो सभी मानवों की समानता को नकारते हैं । अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार संबंधी प्रसंविदा का अनुच्छेद 20(2) राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे घृणापूर्ण भाषण का प्रतिषेध करें । राष्ट्रीय, मूलवंशीय या धार्मिक घृणा की वकालत, जो विभेद या शत्रुता का उद्दीपन करती है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है । सामान्य विधि प्रणाली के अधीन ऐसे भाषण को 'विशिष्ट प्रकार' का अर्थात् संरक्षित भाषण के क्षेत्र के बाहर माना गया है ।

6.4 ऐसे अफवाह उड़ाने के हाल के उदाहरणों में से एक वर्ष 2012 का उत्तर पूर्व निष्क्रमण का मामला है । उत्तर पूर्व के पचास हजार तक नागरिक भारत में सभी ओर से अपने निवास स्थानों से निकल कर उत्तर पूर्व राज्यों में वापस चले गए थे ।[114] यह प्रक्रिया हिंसात्मक घटनाओं की, जो म्यांमार में कई वर्ष पहले हुई थीं, झूठी छवियों के परिचालन के कारण आरंभ हुई थी । छवियों को 2012 के असम के विद्रोह की छवियों के रूप में दर्शित किया गया था ।[115] इसके परिणामस्वरूप देश भर में आतंक फैल गया क्योंकि अन्य समूहों ने भारत के अन्य भागों में रहने वाले उत्तर पूर्व के व्यक्तियों को निशाना बनाना आरंभ कर दिया । पुलिस प्राधिकारियों ने इंटरनेट को पूर्णरूप से बंद करके इसका उत्तर दिया ।

6.5 घृणापूर्ण भाषण आतंकवाद, जातिवध, जाति शोधन आदि के कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों या समाज को उत्तेजित करने की संभावना रखता है । ऐसा भाषण संरक्षात्मक भाषण के क्षेत्र के बाहर समझा जाता है । निर्विवाद रूप से घृणापूर्ण भाषण व्यक्तियों के जीवन पर वास्तविक और विनाशकारी प्रभाव रखता है और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में डालता है । यह समुदायों के लिए हानिपूर्ण और विभाजक है और सामाजिक

---

[114] स्टेफेनी नोलेन, "भारत में जाति संबंधी टक्करें सामाजिक-मीडिया के बड़े भंवर में अधिक तीव्र रूप धारण कर रही हैं ।" अगस्त 23, 2012, http:/www.theglobeandmail.com/news/world/indias-ethnic-clashes-intensify-within-social-media-maelstrom/article4496392/ पर उपलब्ध है (अंतिम बार फरवरी 5, 2017 को देखा गया) ।

[115] एशियाई मानव अधिकार केंद्र, "असम विद्रोह : निवारणीय किन्तु निवारित नहीं किए गए" सितम्बर 2012, http://www.achrweb.org/reports/india/assamRiots2012.pdf1 पर उपलब्ध है (अंतिम बार फरवरी 5, 2017 को देखा गया) ।

उन्नति में बाधा डालता है । यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो घृणापूर्ण भाषण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकता है ।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधनों की परीक्षा करना

6.6 संविधान सभा के विचार-विमर्शों और पहले और सोलहवें संशोधनों के संबंध में विचार-विमर्श का विश्लेषण, घृणापूर्ण भाषण पर आधारित भाषण के निर्बंधन प्राथमिक रूप से 'लोक व्यवस्था' शब्दों के अधीन और कुछ कम सीमा तक अनुच्छेद 19(2) के अधीन 'प्रभुता और अखंडता' शब्दों के अधीन अवस्थित हैं । धारा 153क और 295क दोनों धाराओं को लोक व्यवस्था के अधीन निर्बंधनों के रूप में न्यायोचित ठहराया गया है ।[116] उच्चतम न्यायालय ने रामजी लाल मोदी[117] में अभिनिर्धारित किया है कि 1951 में पहले संशोधन के पश्चात् 19(2) की भाषा इस प्रकार थी 'लोक व्यवस्था के हित में' । इसे बहुत विस्तार से पढ़ा जाना है जिससे कि धारा 295क के समान कोई विधि सीधे लोक व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई न कर सके किन्तु उसे 'लोक व्यव्यवस्था के हितों में' होने वाली पढ़ा जा सके ।[118]

6.7 तथापि यदि घृणापूर्ण भाषण व्यक्तियों का अपमान करने या (लोक व्यवस्था को अंतर्वलित किए बिना) धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बारे में भी है तो उसे अनुच्छेद 19(2) के खंड 'शिष्टाचार और सदाचार' के अधीन न्यायोचित ठहराया जा सकता है । उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 123(3) शिष्टाचार के हितों में भाषण पर संवैधानिक निर्बंधन है ।[119] समान रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 'जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के किसी आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा' विहित करता है ।[120] स्वर्ण सिंह बनाम राज्य[121] में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति के किसी

[116] उपर्युक्त टिप्पण 9 देखिए ।

[117] उपर्युक्त टिप्पण 13 ।

[118] पूर्वोक्त ।

[119] पूर्वोक्त पैरा 27-9 पर।

[120] धारा 3(1)(x)।

[121] (2008) 8 एससीसी 435 ।

सदस्य को जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में 'चमार' कहना धारा 3(1)(x) को आकर्षित करेगा ।

6.8 घृणापूर्ण भाषण का वह रूप, जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय यहां कार्रवाई कर रहा है, अपमान का है । यह उस अपमान के इतिहास से संबंधित है, जिसका अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा सामना किया गया है और जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध निदेशित नहीं है । किसी का अपमान करने के लिए चमार शब्द का उपयोग करना घृणापूर्ण भाषण का गठन कर सकता है, बिना इस बात का ध्यान रखे कि क्या इससे लोक व्यवस्था में विघ्न पड़ता है । भाषण पर निर्बंधन यहां अनुच्छेद 19(2) में 'शिष्टाचार या सदाचार' से सीधे अधिक संबंधित हैं बजाय 'लोक व्यवस्था'[122] के । समान रूप से धारा 153ख के अधीन 'राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान' को अनुच्छेद 19(2) में 'प्रभुता और अखंडता' संबंधी निर्बंधन के अधीन न्यायोचित ठहराया जा सकता है ।

6.9 घृणापूर्ण भाषण संबंधी उपबंध भारतीय दंड संहिता के तीन विभिन्न अध्यायों में पाए जाते हैं, जो 'धर्म से संबंधित अपराधों के', 'लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के' और 'आपराधिक संत्राष, अपमान और विछोभ के', बारे में हैं । भारतीय दंड संहिता की धारा 295क को ऐसे भाषण को विनिर्दिष्ट रूप से लक्ष्य में रखकर अधिनियमित किया गया था, जो धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आशयित हो ।[123]

राजनीति और घृणापूर्ण भाषण

6.10 राजनीतिक भाषण बहुधा निर्वाचन लाभों के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों का शोषण करने के क्रम में मतभेद उत्पन्न करने वाले स्वर ग्रहण कर लेते हैं । तथापि ऐसे भाषण को ऐसे वातावरण में दिया जाना चाहिए जो गलत या घृणापूर्ण भावनाओं को न बढ़ाए । यद्यपि

---

[122] लोक सदाचार पर आधारित निर्बंधनों को इस आधार पर विखंडित कर दिया गया है कि ये निर्बंधन विभेदकारी थे । देखिए इरीना फेडोटोवाव, रशियन फेडेरेशन, यूएन डीओसी नं0 सीसीपीआर/सी/106/डी/1932/2010 । (यह अभिनिर्धारित किया गया कि रूस में रियाजान प्रादेशिक विधि ने, अवयस्कों की समलैंगिकता से संबंधित सूचना के प्रसारण का प्रतिषेध करके अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकारों संबंधी प्रसंविदा का अतिक्रमण किया था)।

[123] धारा 295क के अधिनियम का मार्गदर्शन करने वाले विधायी विचार-विमर्श के हाल के विवरण के लिए : देखिए नीति नायर, 'सांप्रदायिक' 1920 से परे : आशय, सांप्रदायिक हठधर्मिता की समस्या और भारतीय दंड संहिता की धारा 295क का बनना, 50 भारतीय आर्थिक सामाजिक इतिहास का पुनर्विलोकन 317 (2013) http://ier.sagepub.com/content/50/3/317, DOI : 10.1177/0019464613494622 पर उपलब्ध है (जिसे अंतिम बार फरवरी 14, 2017 को देखा गया) ।

राजनीतिक दुशमनी अनुचित भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दे सकती है, तथापि यह बुद्धिमानपूर्ण नहीं होगा कि ऐसे भाषण को निर्बंधित किया जाए, जो बिना आशय के अवांछित परिस्थितियों का आह्वान करने की प्रवृत्ति दर्शित करता हो ।[124] जोरदार और लाभदायक विचार-विमर्श का संप्रवर्तन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता और निर्बंधनों के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन बनाया जाए ।

6.11 डा0 रमेश यशवंतप्रभु बनाम श्री प्रभाकर काशीनाथ कुंटे और अन्य[125] में न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कहा गया है) की धारा 123 की उपधारा (3क) के अर्थ का विश्लेषण किया और यह कहा कि उक्त परंतुक भारतीय दंड संहिता की धारा 153क के समरूप है क्योंकि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153क में प्रयुक्त 'जो कोई.....असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं..... संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा.....' शब्दों के विरुद्ध 'शत्रुता या घृणा की भावनाएं..... संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा' शब्दों का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रयोग किया गया है । अभिव्यक्ति 'शत्रुता या घृणा की भावनाएं' दोनों परंतुकों में समान है किन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 153क में 'असौहार्द्र अथवा वैमनस्य' शब्द अतिरिक्त हैं । दोनों परंतुकों की सादा भाषा में अंतर दर्शित करता है कि जनता के विभिन्न समूहों के बीच असौहार्द्र अथवा वैमनस्य का केवल मात्र संप्रवर्तन भी भारतीय दंड संहिता की धारा 153क के अधीन अपराध है जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा (3क) के अधीन केवल शत्रुता या घृणा की भावनाओं का संप्रवर्तन या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न, जो अधिक कठोर शब्द हैं, निर्वाचन प्रचार में निषिद्ध है ।

6.12 प्रो0 रामचन्द्र जी तापसे बनाम हरिवंश रामकवाल सिंह[126] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त को निर्वाचन घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि उसने उसको बनाने में भाग नहीं लिया था । यह भी कि मनोहर जोशी बनाम नितिन भौराव पाटिल और अन्य[127] में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन के

---

[124] ''प्रवृत्ति और आशय'' के बीच अंतर, देखिए भारत का विधि आयोग, ''भारतीय दंड संहिता की 42वीं रिपोर्ट'' ।

[125] एआईआर 1996 एससी 1113 ।

[126] एआईआर 1996 एससी 817 ।

[127] 1996 एससीसी (1) 169 ।

दौरान किसी अभ्यर्थी द्वारा किए गए कथन को कि पहला हिन्दू राज्य महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जा सकता है क्योंकि :

> केवल कथन स्वयं उसके धर्म के आधार पर मतों के लिए अपील नहीं था किन्तु वह अभिव्यक्ति, सर्वोत्तम रूप में, ऐसी आशा के लिए थी । तथापि ऐसा कथन तिरस्करणीय हो सकता है किन्तु उसे उसके धर्म के आधार पर मत देने के लिए अपील करने के बराबर नहीं कहा जा सकता ।

6.13 उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कोम्माचेन (मृत) एलआरएस द्वारा और अन्य[128] में अधिनियम 1951 के अधीन भ्रष्ट आचरण संबंधी विधि का निर्णयज विधियों की आवलियों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया गया है और यह कहा गया है कि उपधारा (3क) को साथ-साथ पुर:स्थापित किया गया था जिससे कि यह उपबंधित किया जा सके कि भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनओं का संप्रवर्तन या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करना भ्रष्ट आचरण होगा, जहां वह किसी अभ्यर्थी, उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया गया है । भ्रष्ट आचरण की सीमा का विस्तार करते हुए, जैसा उपधारा (3) में उपबंधित किया गया है, 'किसी व्यक्ति के .....आधार पर किसी व्यक्ति के लिए' शब्दों को सम्मिलित करके एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था ।

6.14 अधिनियम, 1951 की धारा 123(5) की संवैधानिक विधिमान्यता को संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा बनाए रखा गया था जिसमें धर्म के आधार पर भ्रष्ट आचरण को हटाना वस्तुत: स्पष्ट था । न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 123(3क) भिन्न विस्तार रखती है । इसका अभिप्राय दूसरी भाषा की निन्दा करना या समुदायों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना नहीं है । यह विहित आधारों पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा का संप्रवर्तन या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करने के प्रति निर्देश करती है किन्तु धारा 123(3क) किसी अभ्यर्थी के या किसी विरोधी अभ्यर्थी के (धारा 123(3) के असमान रूप में, जो 'किसी

[128] अभिराम उपर्युक्त टिप्पण 104 ।

व्यक्ति के' अभिव्यक्ति का प्रयोग करती है) धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के प्रति निर्देश नहीं करती है । धारा 123(3क) भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं का संप्रवर्तन या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करने के प्रति निर्देश करती है ।[129]

न्यायिक सिद्धांत

6.15 न्यायालयों ने घृणा संबंधी भाषण के उपबंधों की, जिनके अंतर्गत 'लोक व्यवस्था' के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153क और धारा 295क हैं, संवैधानिक विधिमान्यता को लगातार बनाए रखा है, केवल एक अपवाद अनुच्छेद 19(2) में किया गया है ।[130] उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललाई सिंह यादव[131] में उच्चतम न्यायालय ने 'आदिष्ट सुरक्षा के संवैधानिक मूल्य' को बनाए रखा ।[132] इस निर्णय में आदिष्ट सुरक्षा को संवैधानिक मूल्य के रूप में पहचाना गया था, जिसे सुरक्षित रखा जाना है और न्यायालयों को ऐसे राज्यों को अधिमान देना चाहिए यदि उनका आशय सुरक्षा और शांति का संरक्षण करना है । यहां आदिष्ट सुरक्षा का सिद्धांत सकारात्मक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जिसके बिना सृजनात्मकता और स्वतंत्रता अर्थहीन हैं ।

6.16 भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक पक्षकारों के मार्गनिर्देशन के लिए दी गई आदर्श आचरण संहिता को उस सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा (3क) को प्रभावी बनाया जा सके । संहिता के पहले भाग अर्थात् साधारण आचरण को स्पष्ट रूप से एक ऐसा उपबंध बनाना चाहिए जो किसी भी इस प्रकार के भाषण का प्रतिषेध करे, जो किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए अथवा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालने के लिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं का संप्रवर्तन या संप्रवर्तन करने का प्रयत्न करता हो ।

---

[129] जमुना प्रसाद मुखरिया बनाम लच्छी राम, एआईएआर 1954 एससी 686 भी देखिए ।

[130] उपर्युक्त टिप्पण 14 ।

[131] एआईएआर 1977 एससी 202 ।

[132] देखिए, सिद्धार्थ नरेन, "घृणापूर्ण भाषण, आहत भावनाएं और स्वतंत्र भाषण की (असं) संभावना" 51(17) इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली 122(अप्रैल 23, 2016) ।

6.17 वर्तमान परिदृश्य में बड़े जुर्मानों का भय प्रकाशकों, कलाकारों, ब्लाग लिखने वालों और उनके लिए, जिनके पास घृणापूर्ण भाषण से संबंधित मुकदमे को लड़ने के लिए वित्तीय बल नहीं हैं, भयोपरतकारी कारक है ।

6.18 अन्य अधिकारिताओं[133] ने घृणापूर्ण भाषण संबंधी विधि पर व्यापक न्यायशास्त्र का विकास किया है । न्यायाधीशों ने घृणापूर्ण भाषण द्वारा कारित हानि और भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है । घृणापूर्ण भाषण संबंधी किसी विधिक विनियम को उन सिद्धांतों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए जिनका इन अधिकारिताओं में विकास हुआ है । उदाहरण के लिए कनाडा के मामले सास्केटच्वान बनाम वाटकोट[134] में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने 'घृणा' शब्द के अभिप्राय को 'घोर घृणा' और 'निंदा' की चरम अभिव्यक्तियों तक सीमित कर दिया । इस मामले में न्यायालय ने घृणापूर्ण भाषण के दो प्रवर्गों को परिलक्षित किया । (i) व्यक्तियों को, किसी लक्षित समूह की उनकी सदस्यता के आधार पर सीमांत पर लाना और इस प्रकार उनके शामिल होने पर और गरिमा पर प्रभाव डालना ; (ii) विचार-विमर्श के अधीन सारभूत विचारों का उत्तर देने की उनकी सामर्थ्य का ह्रास करना और इस प्रकार लोकतंत्र में उनकी पूर्ण भागीदारी पर गंभीर रूप से रोक लगाना ।[135]

घृणापूर्ण भाषण से राजद्रोह को सुभिन्न करना

6.19 घृणापूर्ण भाषण से राजद्रोह को भिन्न करने के लिए सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए । अध्याय VIII के अधीन अपराधों (जो घृणापूर्ण भाषण के पहलुओं से संबंधित हैं) और राजद्रोह के बीच अंतर यह है कि घृणापूर्ण भाषण का अपराध लोक प्रशांति में विघ्न डालकर अप्रयत्क्ष रूप से राज्य को प्रभावित करता है, जबकि राजद्रोह सीधे राज्य के विरुद्ध अपराध है ।

6.20 1897 में, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 124क में संशोधन प्रस्थापित किए जा रहे थे, एक चयन समिति ने विधेयक का पुनरीक्षण करते हुए सिफारिश की कि राजद्रोह को वर्ग संबंधी घृणा को उत्तेजक बनाने से सुभिन्न किया जाना चाहिए :

---

[133] अंतरराष्ट्रीय विधि के ब्यौरेवार विवरण के लिए इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में धारा को देखिए ।

[134] उपर्युक्त टिप्पण 93 ।

[135] पूर्वोक्त ।

हमें यह प्रतीत होता है कि वर्ग घृणा को उत्तेजित करने का अपराध बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं में राज्य के विरुद्ध राजद्रोह के अपराध से भिन्न हैं । यह अधिक समुचित रूप से लोक प्रशांति में विघ्न डालने के विरुद्ध अपराधों से संबंधित अध्याय के अंतर्गत आता है । यह अपराध केवल सरकार या राज्य को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और अपराध का मर्म यह है कि यह जनता के वर्गों को ऐसी कार्रवाई के लिए, जो लोक प्रशांति में विघ्न डाल सकते हैं, पहले से ही तैयार कर देता है । यह तथ्य कि यह अपराध इग्लैंड में राजद्रोह संबंधी अपमान लेख के रूप में दंडनीय है, कदाचित ऐतिहासिक कारणों से है और इसका तार्किक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है ।[136]

6.21 राजद्रोह के रूप में अर्हित होने के लिए, आक्षेपित अभिव्यक्ति को भारत की प्रभुता और सत्यनिष्ठा तथा भारत की सुरक्षा को संकट में डालना चाहिए । चूंकि इसे धारा 124क के अधीन सुभिन्न अपराध बनाया गया है, अत: यह उचित नहीं होगा कि अभिव्यक्तियों को घृणापूर्ण भाषण संबंधी प्रस्तावित धारा के अधीन राज्य के विरुद्ध अप्रीति प्रदीप्त करने वाले के रूप में रखा जाए । यह भी कि राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान भारतीय दंड संहिता की धारा 153ख के अधीन दंडनीय हैं ।

घृणापूर्ण भाषण को संबोधित करने के गैर विधिक उपाय

6.22 यह भी विचार योग्य है कि क्या घृणापूर्ण भाषण द्वारा सृजित हानि से लड़ने के लिए ऐसे उपाय हैं, जो भाषण पर पाबंदी लगाने या उसे रोक देने से कम हानिपूर्ण हैं । घृणापूर्ण भाषण के लिए पूर्व निर्बंधन या दंड जैसी वर्तमान युक्तियों पर भी भारतीय विधि में विचार किया जा रहा है ।

6.23 अन्य देशों में अन्य युक्तियों की भी खोज की गई और उनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं

- प्रसिद्ध दूरदर्शन नाटक, जो सुन्दरता से और प्रभावी रूप से परस्पर विरोधी समुदायों के बीच सामंजस्य का प्रवर्तन करते हैं ।

[136] डब्ल्यू.आर. डोनोघ, ब्रिटिश भारत में राजद्रोह और सजातीय अपराधों की विधि पर पुस्तक 164 (थेकर, स्पिंक और कं. कलकत्ता, 1911) ।

- सामुदायिक तनाव को कम करने के लिए धार्मिक सीमा रेखाओं के आरपार सहानुभूति बनाने के लिए धार्मिक प्रमुखों का अंतर्वलित होना, और
- घृणापूर्ण भाषण के प्रसार और भीड़ की गतिशीलता को मानीटर करने के लिए युक्ति संबंधी हस्तक्षेप (विशेष रूप से सामाजिक मीडिया के संदर्भ में) ।
- ऐसे व्यक्तियों को, जो सबसे कमजोर कड़ियां हैं, हानिपूर्ण अफवाह फैलाने से रोकने के लिए समझाना ।

हल निकालने के लिए एक प्रयास

6.24 घृणापूर्ण भाषण की परिभाषा पर अभी तक व्यापक रूप से बौद्धिक और शैक्षणिक दृष्टि से विचार-विमर्श किया जा रहा है । विवाद्य विषय घृणापूर्ण भाषण के अपराधीकरण से संबंधित है और यह कि विद्यमान विधियां इसे कैसे देखती हैं । चूंकि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार से घिरा हुआ है, अत: 'घृणापूर्ण भाषण' को बहुतों ने ऐसे अधिकार की आड़ में अपने वाह्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विभिन्न रूपों में छलयोजित किया है और न्यायालय भारतीय दंड संहिता में किसी स्पष्ट उपबंध के न होने से उनके समक्ष सफलतापूर्वक लाए गए घृणापूर्ण अपराध संबंधी आरोपों को अभियोजित करने में समर्थ नहीं हैं ।

6.25 जकार्ता सिफारिश के अनुसार, जो जकार्ता इंडोनेशिया में 3-5 जून, 2015 को किए गए 'एशिया में अभिव्यक्ति, राय और धार्मिक स्वतंत्रता' पर प्रादेशिक परामर्श थी और जिसमें मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संप्रवर्तन और संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष रिपोर्टकर्ता जैसे विशेषज्ञ, भागीदार सम्मिलित थे, निम्नलिखित कहा गया :

- विद्यमान अविभेदकारी विधान को पुनरीक्षित और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी समूहों, समुदायों, पुरुषों और स्त्रियों के संबंध में समान रूप से सार्वभौमिक मानकों को संतुष्ट किया जा सके ;
- विधियों को ऐसी घृणा के उद्दीपन को दंडित करने के लिए अपनाया जाना चाहिए, जिसका परिणाम हिंसा, विद्वेष और विभेद में हो । उनको अचयनित, गैर मनमानी और पारदर्शी रीति से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग विसम्मति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध प्रयोग करने को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ;

- धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय वाले सांसदों को अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता से और इन अधिकारों को विभाजित करने से संबंधित विवाद्यकों को संसद् और अन्य मंचों पर उठाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए ;

- धर्म और घृणा के उद्दीपन के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने वाली सभी घटनाओं की, जिनका परिणाम हिंसा में होता है, निंदा की जानी चाहिए और उनका निवारण किया जाना चाहिए ;

- घृणापूर्ण भाषण के विरुद्ध लड़ाई को अलग नहीं छोड़ा जा सकता है । इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विस्तृत मंच पर विचार-विमर्श होना चाहिए । प्रत्येक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार, प्रादेशिक निकायों और अन्य अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक अभिनेताओं को इस संकट के उत्तर में कुछ करना चाहिए ।[137]

6.26 ये सिफारिशें घृणापूर्ण भाषण संबंधी न्यायशास्त्र का विकास करने में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में मानी जा सकती हैं ।

घृणा की वकालत करने का प्रतिषेध करना[138]

6.27 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र बनाए रखने के लिए अपेक्षित मुख्य स्वतंत्रता के रूप में स्थापित किया गया है । तथापि प्रत्येक अधिकार के साथ उत्तरदायित्व आता है और वैसी ही दशा में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर परिसीमा की आवश्यकता होती है जिससे कि उस विध्वंशकारी और प्रतिगामी प्रभाव का, जो उससे पड़ सकता है, निवारण किया जा सके । हमारे संविधान के संस्थापक इतिहास से और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संलग्न उत्तरदायित्व को विशिष्टता देने से अवगत थे । अत: जनता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उत्तरदायी प्रयोग को समझाने और उसके संबंध में शिक्षित करने की आवश्यकता है ।

6.28 संविधान को, तथापि अपने कार्यकरण में अनुच्छेद 19 को संशोधित करने की आवश्यकता हुई जिससे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधनों के कई नए

---

[137] धर्म के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जकार्ता सिफारिश (जून 17, 2015) https://golbalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2015/Jakarta-Recommendations-FINAL.pdf (अंतिम बार जनवरी 16, 2017 को देखा गया) पर उपलब्ध है ।

[138] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_64_ENG.doc पर उपलब्ध है (अंतिम बार जनवरी 16, 2017 को देखा गया) ।

आधार, प्रारंभ में संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के अधीन, उसके पश्चात् संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के अधीन, जोड़े जा सकें । जोड़े गए निर्बंधनों के नए आधार निम्नलिखित हैं : (i) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ; (ii) मानहानि या अपराध उद्दीपन ; (iii) भारत की प्रभुता और अखंडता ; (iv) राज्य की सुरक्षा (v) शिष्टाचार और (vi) न्यायालय-अवमान ।

6.29 पूर्वोक्त संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण में कतिपय उपबंध जैसे धारा 153क, धारा 153ख और धारा 295क भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराधों के विशेष प्रवर्ग के संबंध में, जो घृणापूर्ण भाषण की साधारण अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, जोड़े गए हैं । भारतीय दंड संहिता में घृणापूर्ण भाषण के ये उपबंध धर्म से संबंधित अपराधों, लोक प्रशांति और आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ से संबंधित अपराधों के प्रवर्गों के अधीन आते हैं । धारा 124क राजद्रोह को दंडित करती है, धारा 153क विभिन्न आधारों पर समूहों के बीच शत्रुता का प्रवर्तन करने और उनमें सामंजस्य बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने को दंडित करती है, धारा 153ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यानों को दंडित करती है और धारा 295क विद्वेषपूर्ण कार्यों को, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, दंडित करती है, जो धारा 298 की पूरक है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करने से संबंधित है । धारा 505 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य से संबंधित है ।

6.30 उपर्युक्त उपबंधों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि घृणापूर्ण भाषण से संबंधित विभिन्न कार्यों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कोई सशक्त उपबंध नहीं हैं, वे साधारणतया परस्पर व्याप्त हैं । किसी विशिष्ट स्थिति में घृणापूर्ण भाषण राजद्रोह हो सकता है । केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य[139] में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124क को संवैधानिक रूप से वैध होने के रूप में बनाए रखा और ऐसा उसने फेडरल न्यायालय द्वारा निहारेंदुदत्त मजूमदार बनाम बादशाह[140] में व्यक्त किए गए विचार के अनुसरण में किया और उसने बादशाह बनाम सदाशिव नारायण भालेराव[141] में प्रिवी परिषद् द्वारा उसे दिए गए निर्वचन को स्वीकार नहीं किया । निहारेंदु[142] में फेडरल न्यायालय ने

[139] एआईआर 1962 एससी 955 ।

[140] एआईआर 1942 एफसी 22 ।

[141] एआईआर 1947 पीसी 84 ।

[142] उपर्युक्त टिप्पण 140 ।

अभिनिर्धारित किया था कि "लोक व्यवस्था या लोक अव्यवस्था का युक्तियुक्त पूर्वानुमान या संभावना" राजद्रोह के अपराध का सार था और यह कि धारा 124क के अधीन दंडनीय होने के लिए,- 'शिकायत किए गए कार्य या शब्द या तो अव्यवस्था को उद्दीप्त करने वाले होने चाहिए या अवश्य ही ऐसे होने चाहिए जो युक्तियुक्त व्यक्ति का यह समाधान कर सकें कि ऐसा उनका आशय या प्रवृत्ति थी ।' उच्चतम न्यायालय ने केदारनाथ सिंह[143] में धारा 124क का यह अभिप्राय देने के लिए निर्वचन किया कि इस धारा के अधीन कोई उच्चारण केवल तभी दंडनीय होगा जब वह हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था उत्पन्न करने या लोक प्रशांति में विघ्न डालने के लिए आशयित है या उसकी युक्तियुक्त प्रवृत्ति रखता है ।

6.31 घृणापूर्ण भाषण साधारणतया घृणा का उद्दीपन करने के लिए है, जो प्राथमिक रूप से ऐसे किसी समूह के व्यक्तियों के विरुद्ध है, जिन्हें मूलवंश, जातिवाद, लिंग, लैंगिक स्थिति, धार्मिक विश्वास और वैसे ही के अुनसार परिभाषित किया गया है (भारतीय दंड संहिता की धारा 153क, धारा 298क के साथ पठित धारा 295क) । इस प्रकार घृणापूर्ण भाषण किसी व्यक्ति के सुनने या देखने की परिधि के भीतर भय या खतरा कारित करने या हिंसा का उद्दीपन करने के आशय से लिखा गया या बोला गया कोई शब्द, संकेत, दृश्यरूपण है ।

6.32 घृणापूर्ण भाषण, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जटिल चुनौतियां समाने रखता है । इन चुनौतियों के प्रति संवैधानिक पहुंच एकरूपता से दूर रही है क्योंकि घृणा के अननुज्ञेय प्रसारण और संरक्षित भाषण के बीच सीमाएं विभिन्न अधिकारिताओं में अलग-अलग हैं । दृष्टिकोण का अंतर संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य लोकतंत्रों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है । संयुक्त राज्य अमरीका में घृणापूर्ण भाषण को व्यापक संवैधानिक संरक्षण दिया गया है ; जबकि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी प्रसंविदाओं और अन्य पश्चिमी लोकतंत्रों जैसे कनाडा, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में इसे विनियमित किया जाता है और प्रतिबंधों के अधीन रखा जाता है ।

6.33 उपर्युक्त की दृष्टि से भारत के विधि आयोग की यह सुविचारित राय है कि भारतीय दंड संहिता में नए उपबंधों को उन विवाद्यकों को संबोधित करने के लिए निगमित किए जाने की आवश्यकता है, जिनकी पूर्ववर्ती पैराओं में व्यापक रूप से चर्चा की गई है । अत: दांडिक विधि का संशोधन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक प्रारूप संशोधन विधेयक अर्थात् दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017, जिसमें नई धारा 153ग (घृणा के

[143] उपर्युक्त टिप्पण 139 ।

उद्दीपन का प्रतिषेध) और धारा 505क (कतिपय मामलों में भय, खतरा कारित करना या हिंसा को उत्प्रेरित करना) को अंत:स्थापित करने का सुझाव दिया जा रहा है, सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए उपाबंध-क के रूप में संलग्न है ।

[न्यायूर्ति डा0 बी.एस. चौहान]
अध्यक्ष

[न्यायूर्ति रवि आर. त्रिपाठी]
सदस्य

[प्रो0(डा0) एस. सिवकुमार]
सदस्य

[डा0 संजय सिंह]
सदस्य-सचिव

[सुरेश चंद्रा]
पदेन सदस्य

[जी.नारायण राजू]
पदेन सदस्य

<u>उपाबंध- क</u>

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017

भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

अध्याय 2

भारतीय दंड संहिता का संशोधन

2. धारा 153ख के पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन- भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) में, धारा 153ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

घृणा के उद्दीपन का प्रतिषेध-

'153ग. जो कोई धर्म, मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, लिंग पहचान, लैंगिक स्थिति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, निर्योग्यता या जनजाति के आधार पर-

(क) गंभीर रूप से धमकाने वाले बोले गए या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्यरूपणों का, किसी व्यक्ति के सुनने या देखने की परिधि के भीतर, भय या संत्रास कारित करने के आशय से प्रयोग करता है ; या

(ख) बोले गए या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्यरूपणों द्वारा घृणा की वकालत करता है, जो हिंसा का उद्दीपन कारित करती है,

वह दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।' ।

3. धारा 505 के पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन - दंड संहिता में, धारा 505 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय मामलों में भय, खतरा कारित करना या हिंसा का प्रकोपन ।

'505क. जो कोई साशय जनता में धर्म, मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, लिंग पहचान, लैंगिक स्थिति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, निर्योग्यता या जनजाति के आधारों पर-

(i) किसी व्यक्ति के सुनने या देखने की परिधि के भीतर, भय या संत्रास कारित करने ; या

(ii) अविधिपूर्ण हिंसा के प्रयोग का प्रकोपन करने के आशय से,

उस व्यक्ति के या दूसरे के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है या कोई लेखन, चिह्न या अन्य दृश्यरूपण का प्रदर्शन करता है, जो गंभीर रूप से संकट पैदा करने वाला या अपमानजनक है, वह कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और/या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।' ।

अध्याय 3

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

5. पहली अनुसूची का संशोधन- दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में, '1- भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध- शीर्षक के अधीन,-

(i) धारा 153ख और धारा 505 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमश: रखी जाएंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6
153ग	घृणा के उद्दीपन का प्रतिषेध	दो वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रुपए तक जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

(ii) धारा 505 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6
505क	कतिपय मामलों में भय, संत्रास कारित करना या हिंसा का प्रकोपन	एक वर्ष के लिए कारावास या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट